Book No. :- 1 Deed No. 16966

al No. 17196 Circle:-:Danapur

ial No. 17196 Deed No. 16966

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **28/09/2022** by **Suraj Kumar**
A stamp duty of Rs. **978000**/- and other fees of Rs. **21000**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **16966** in Book No. **1**, Volume No. **339** on pages from **298** to **320** and has been preserved in total **23** pages in C.D. No. **52** / Year **2022**

Signature with Date
(**Arpana**)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 28/09/2022 Token No: 17600 /2022

Scanned By-

T- 17600

27/09/22

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

मौजा - राहजादपुर
रोक सूची खेसरा वंशी/चेक लिस्ट से
मिलान किया।
Plot No - 589 आवासीय
हस्ताक्षर

28/9/22

विकास कार्य एकरारनामा

(DEVELOPMENT AGREEMENT)

यह विकास कार्य एकरारनामा आज दिनांक 28.....
दस्तावेज जाँचा 02 माह 2022 वर्ष 2022 ई० को निम्नलिखित पक्षों
लिपिक 28/9/22
के बीच सम्पन्न हुआ।

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर पटना

28/09/22

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 17600 | Reg. Year 2022 | Serial Number 17196 | Deed Number 16966

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Pavan Kumar (M.D.)						
Executant	Saurabh Kumar						
Presented By	Suraj Kumar						
Executant	Suraj Kumar						
Identified By	Gaurav Kumar						





Powered by IL&FS Technologies Ltd. | Biometric Captured By 2802scp036

प्रथम पक्ष लेख्यकारीगण :–

(1) श्री सुरज कुमार (2) श्री सौरभ कुमार दोनो के पिता स्व0 संतोष कुमार, साकिन– मेन रोड गोला पर राम जानकी मंदिर के सामने, पोस्ट– दानापुर कैन्ट, थाना– दानापुर, जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

(भूस्वामी या जमीन मालिक प्रथम पक्ष)

उपरोक्त भूस्वामीगण जिन्हे भूखंड स्वामीगण (प्रथम पक्ष) कहा गया है, (भूखण्ड स्वामी से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध भूखण्ड से विधिक प्रतिनिधि, कानूनी वारिशान सदस्य/अधिकृत एजेंट उत्तराधिकारीगण एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि से अभिप्रेत हैं)

Mob No. 8578002121

एवं

द्वितीय पक्ष लेख्यधारी

एस0 के0 बिल्डर्स एण्ड क्लोनाईजर प्रा0 लि0 कॉर्पोरेट पहचान सं0– U45200BR2013PTC020682 रजिस्टर्ड ऑफिस पांचवा तल्ला एस0 के0 पैलेस सगुना मोड, दानापुर कैन्ट, थाना– दानापुर, जिला– पटना, जिसके प्रबंध निदेशक श्री पवन कुमार पिता स्व0 सुशील राय, साकिन– सगुना नदीपर, पोस्ट– दानापुर कैन्ट, थाना– दानापुर, जिला– पटना, (भूविकासक/ विकासकर्ता/ विल्डर/डेभलपर) उपरोक्त विकासकर्ता को द्वितीय पक्ष कहा गया है, यहाँ विकासकर्ता से अभिप्राय यह है कि इनके उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी, एवं प्राधिकृत एजेंट एवं चयनित उत्तराधिकारी से है, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष से सम्मिलित किया जाता हैं ।

Mob No. 9334852333

S.K. Builder's & Estimiser Pvt. Ltd.
Managing Director

संदर्भ

हकियत यह है कि अनुसूची एक में वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारीगण के पिता का खानदानी सम्पत्ति है। जो लेख्यकारीगण के पिता को अपने सहोदर भाई अशोक कुमार से टाईटिल सुट नं0– 147 सन् 1982 ई0 के आपसी समझौता द्वारा बॉटकर खास हक वो हिस्सा में मिला । बंटकर मिले सम्पत्ति पर लेख्यकारीगण काबिज दखिल वो मालिक मुस्तकिल चले आ रहे थे कि लेख्यकारीगण को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । अपने पिता के स्वर्गवास के बाद जमीन मालिकगण अनुसुची–1 में वर्णित जायदाद को हर तरह से अपने कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर तथा मालिक होकर शांतिपूर्वक उपयोग वो उपभोग करते चले आ रहे है। भू–स्वामीगण (प्रथम पक्ष) की **जमीन एराजी 42.50** डी0 वाके मौजा– दानापुर शाहजादपुर, महल्ला– स्टेट बैंक कॉलोनी के नजदीक, परगना– फुलवारी, थाना– दानापुर, जिला– पटना, परगना– फुलवारी, सर्वे थाना वो सब रजिष्ट्री–दानापुर सदर रजिष्ट्री वो जिला– पटना। जिसका तौजी बिहार सरकार, थाना नं0– 21 (ईक्कीस), खाता नं0– 486 (चार सौ छियासी) सर्वे खसरा प्लौट नं0– 589 (पॉच सौ नवासी), में से। अंचल– दानापुर । जमाबन्दी न0 5143 भाग वर्तमान–98, पृष्ठ सं0–23041 सन् 2020–2021 ई0

चौहद्दी

उत्तर : पार्ट प्लौट नं0– 589 हाल खरीदार दिगर ।

दक्षिण : पार्ट प्लौट नं0– 901

पूरब : मुख्य सड़क ।

पश्चिम: पार्ट प्लौट नं0– 589 ठाकुर महतो ।

S.K. Builder's & Colonizer Pvt. Ltd.
Managing Director

अवर निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

इस प्रकार उपरोक्त भू–स्वामी उपरोक्त सम्पत्ति पर काबिज दखिल वो मालिक मुस्तकिल होते हुए चले आऐ, अनुसूची–1 में वर्णित सम्पत्ति पर लेख्यकारीगण शांतिपूर्वक भू–स्वामी की हैसियत से काबिज दखिल होकर निर्विवाद रूप से पूर्ण भू–स्वामी की हैसियत से देय करते हुए, अनुसूची–1 में वर्णित सम्पत्ति के उत्पतित आय का उपभोग वो उपयोग में लाते चले आ रहे हैं । इस तरह से लेख्यकारीगण को अनुसूची–1 में वर्णित सम्पत्ति पर पूर्ण हक, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल कब्जा प्राप्त है तथा सम्पत्ति के भू–स्वामी बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांतिपूर्वक निर्विवाद रूप से रहते चले आ रहे है वो हैं ।

यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष जो कि भू–खण्ड स्वामी हैं तथा वर्णित रकवा के भूखण्ड पर भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) का दखल कब्जा शांतिपूर्वक ढ़ग से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है एवं भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) का आपसी सहमति एवं इच्छा से अनुसुची–1 में वर्णित भूखण्ड का रचनात्मक विकास के साथ–साथ उक्त भूखण्ड पर आवासीय बहुमंजिला भवनों का निर्माण उक्त भूखण्ड पर करवाने हेतू द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास कार्य एकरारनामा का निष्पादन किया जाता है।

यह कि भूखण्ड निर्माण विकास एकरारनामा के तहत उभय पक्षों के मध्य इस एकरारनामा का निष्पादन आपसी सहमति एवं निर्धारित शर्त पर किया जाता हैं ।

यह कि उपरोक्त भूखण्ड प्रथम पक्ष की खास एवं निजी जमीन है जो सभी तरह के ऋण–भारों जैसे– सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्था बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण भारों आदि से विमुक्त एवं पाक–साफ है।

Samarth Kumar 27/09/22

S.K. Builder's & Colonser Pvt. Ltd.
Managing Director

27/09/22

यह है कि उक्त भूखण्ड का मालगुजारी रसीद अंचलाधिकारी कार्यालय से प्रथम पक्ष कटाते चले आ रहे है अतः उक्त भूखण्ड सभी तरह के वारदैन वगैरह से मुक्त वो पाक–साफ हैं । विकासकर्ता द्वितीय पक्ष एवं भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के बीच इस एकरारनामा के तहत निम्नलिखित शर्ते होगें ।

1– यह कि ऊपर वर्णित प्रथम पक्ष अर्थात भूखण्ड स्वामी अपने उक्त भूखण्ड को, विकासकर्ता द्वितीय पक्ष की विमुक्ति, उपर वर्णित भूखण्ड क्षेत्र पर प्रस्तावित योजना एवं बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2014 के प्रारूप के अनुसार बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्य एक निर्धारित अवधि के अंदर नियम एवं शर्तो के अनुसार विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेगें । **निर्मित बहुमंजिली इमारत का नाम "उर्मिला इन्कलेव" होगा ।**

2– यह कि प्रथम पक्ष अर्थात् भूखण्ड स्वामी अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिली इमारत के निर्माण हेतू विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को अधिकार देते हैं कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर के द्वारा पटना क्षेत्रिय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर परिषद दानापुर,/सक्षम पदाधिकारी के यहॉ नक्शा स्वीकृति हेतु सभी तरह के आवेदनों/नक्शा पर अपना हस्ताक्षर कर दे सकते हैं तथा नक्शा अपने नाम या कम्पनी के नाम के द्वारा स्वीकृत कराकर अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करेंगे अन्यथा ऐसा नहीं करने पर प्रथम पक्ष अर्थात भूस्वामी द्वारा यह मान्य नहीं होगा । यह बहुमंजिली इमारत बनने के बाद भविष्य में अगर नगर परिषद दानापुर/सक्षम पदाधिकारी से पूर्व में बने बहुमंजिली इमारत से ऊपर या अन्य स्थान पर निर्माण करने की स्वीकृति के लिए भी संशोधित योजना हेतु विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने हस्ताक्षर के द्वारा

Saurabh Kumar 27/08/22

S.K. Builder's & Comviser Pvt. Ltd.
Managing Director

Sunil Kumar 27/08/22

प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के सहमति लेने के पश्चात् ही पटना क्षेत्रिय विकास प्राधिकार (विघटित)/ नगर परिषद दानापुर/ सक्षम पदाधिकारी के यहाँ नक्शा स्वीकृति हेतु दे सकते है तथा नक्शा स्वीकृत कराकर ही अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड पर पूर्व में बने, बहुमंजिली इमारत से ऊपर या अन्य स्थान पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेगें ।

3– यह कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2014 के प्रावधानो एवं नियमानुसार प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी की निर्माण के उपरान्त दिया जाने वाले निर्मित संरचना में **50 प्रतिशत Builtup Area हिस्सा** जमीन फ्लैट, पार्किंग स्थलों इत्यादि में मिलेगा और प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी को अपने **50 प्रतिशत Builtup Area हिस्सा** में पूर्ण स्वामित्व रहेगा वो पूर्ण स्वामी के रूप में अपने हिस्सा को व्यवहार में लायेगे या किसी को बिक्री, दान, वसीयत गिरवी, एकरारनामा इत्यादि करेगें । इसमें विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगा । यह कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2014 के प्रावधानो एवं नियमानुसार विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को निर्माण के उपरान्त दिया जाने वाला निर्मित संरचना में **50 प्रतिशत हिस्सा जमीन**, फ्लैट, पार्किंग स्थलों इत्यादि में मिलेगा और विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को अपने **50 प्रतिशत हिस्सा** में पूर्ण स्वामित्व रहेगा वो पूर्ण स्वामी के रूप में अपने को व्यवहार में लायेंगे । इसमें प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी को कोई आपत्ति नहीं होगा ।

4– यह कि विकासक अपने स्तर से नक्शा पास करायेगे ।

5– यह कि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष इस विकास एकरारनामा के द्वितीय पक्ष को इस एकरारनामा के तत्वाधान मे विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के पक्ष में कार्य के प्रगति हेतु अधिकार दिये है एवं ये सभी अधिकार विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को दिये है जिसके अनुसार विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

Sanjay Kumar
27/09/17

अंचल निबंधन कार्यालय
दानापुर (पटना)

प्रस्तावित योजना के प्रगति हेतु बहुमंजिली भवनों के निर्माण करवाने एवं अपने हिस्से के क्षेत्र के लिये किसी को भी एकरारनामा करने, बिक्रय करने, दखल कब्जा देने, लेटर ऑफ पोजिसन देने तथा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के आवंटित हिस्से को निष्पादन हेतु भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष सभी तरह के अधिकार द्वितीय पक्ष को देते है एवं भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के आवंटित हिस्से को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष निर्मित क्षेत्र एवं परम निर्मित क्षेत्र की अपने इच्छानुसार उपयोग व उपभोग अथवा बिक्रय एकरारनामा वगैरह करेंगें ।

6– यह कि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष ने अपने भूखण्ड का दखल कब्जा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को भूखण्ड का विकास बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्य हेतु दे दिया है और विकासकर्ता द्वितीय पक्ष प्रस्तावित योजना प्रारूप की स्वीकृति पटना क्षेत्रिय विकास प्राधिकार (विघटित)/**नगर परिषद दानापुर/सक्षम पदाधिकारी से लेंगे** । विकासकर्ता द्वितीय पक्ष विकास एवं निर्माण कार्य की शुरूआत नक्शा पास होने की तिथि के उपरान्त निर्माण कार्य की शुरूआत करने के लिए स्वतंत्र होगे और निर्धारित अवधि के अंदर निर्माण कार्य को पूरा करने के बाद भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को विकासकर्ता द्वितीय पक्ष उनके आवंटित हिस्से को बनाकर, भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को सुपुर्द करेगे। विकासकर्ता द्वितीय पक्ष इनके उत्तराधिकरी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेंट एवं चयनित उत्तराधिकारीगण, भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के हिस्से के आवंटित क्षेत्रों के फ्लैटों को बिक्रय वगैरह नहीं करेगे ।

7– यह कि इस एकरारनामा के तहत विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को सिर्फ उनके आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के आवंटित

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

27/09/22

हिस्से के निर्मित क्षेत्र से कोई सरोकार या दावा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष नहीं करेगें । इसी तरह भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को सिर्फ उनको आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र एवं परम निर्मित क्षेत्र से ही सरोकार होगा और विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के आवंटित हिस्से के निर्मित क्षेत्र में कोई सरोकार या दावा भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष नहीं करेंगे ।

8– यह कि इस एकरारनामा के तहत दोनो पक्षों ने यह भी विश्वास दिलाया है कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर (परम) निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ भवनों का उपयोग व उपभोग आवंटित हिस्से पर स्वयं अथवा उनके उत्तराधिकारीगण अथवा खरीदार वगैरह अथवा सोसाइटी के लिए स्वतंत्र होंगे ।

9– यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को विश्वास दिलाते है कि प्रस्तावित योजना का नक्शा पटना क्षेत्रिय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर नगर परिषाद दानापुर/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृती मिलने की तिथि से इस प्रारूप के अनुसार **निर्माण कार्य 4 साल 6 माह** का समय विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष द्वारा दिया जयेगा, **इसके अलावे छः महीना का रियायत समय के रूप में दिया जायेगा** के भीतर उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण कर, भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के हिस्से के आवंटित भवनों का निर्माण कर, भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के हिस्से के आवंटित क्षेत्रों के फ्लैटों का निर्माण विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष का पूरा हिस्सा दखल कब्जा दे दें, बशर्ते कि प्राकृतिक अप्रत्याशित घटना आदि निर्माण कार्य में बाधा न पहुँचाये तथा उन प्राकृतिक समयों को निर्माण के लिये निर्धारित अवधि में गणना नहीं की जाएगी।

10– यह कि निर्माण कार्य के लिए विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष द्वारा **निर्धारित समय 4 साल 6**

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

माह का निर्धारित काल दिये जाने के बाद भी विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अगर निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाते है तो 6 माह (छः माह) भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष विकासकर्ता द्वितीय पक्ष रियायती समय देंगे।

11– इस भवन में लगने वाला अन्य सुविधाएँ जैसे कि ट्रान्सफार्मर लिफ्ट, बिजली कनेक्शन (मीटर सहित), जेनरेटर, पार्किंग इत्यादि अन्य सुविधा तथा उनके प्राप्त हिस्से को पूर्णतः तैयार कर विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) को भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष को कोई भी शुल्क/राशि/भुगतान इत्यादित वहन के बिना देना होगा ।

12– अगर भवन उपनियम/उपविधि या0 व्यवस्था/किसी अप्रधान संस्था के नियम/में कोई भी बदलाव होता है और भवन में कोई भी नया निर्माण होता है तो उस पर दोनो पक्ष का हिस्सा होगा ।

13– यह कि भवन निर्माण के दौरान किसी भी घटना/दुर्घटना का जिम्मेवार विकासकर्ता द्वितीय पक्ष होगें न कि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष होगे ।

14– यह कि किसी कारणवश जिसके लिए भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष दोषी हो निर्माण कार्य बंद हो जाये या निर्माण कार्य में बाधा हो अथवा सरकारी नितियों के कारण, मुकदमों के कारण या न्यायालय आदेश के तहत निर्माण कार्य ठप्प हो जाये ऐसी परिस्थिति में विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का कोई दोष नहीं माना जायेगा । विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा सभी कानूनी प्रकिया को गुजरने में जो समय लगेगा उन सभी समयों को निर्धारित 4 साल 6 माह (चार साल छः माह) में गणना नहीं की जायेगी एवं समय की गणना रेरा एवं नक्शा पास होने की तिथि से होगा।

15– यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पदान हेतु सभी तरह के कानूनी प्रकियाओं की पूर्ण करने का अधिकार होगा। पूँजी का समावेश (लोन)

Saurabh Kumar
29/09/22

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

Saurabh Kumar
27/09/22

विकासकर्ता **द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के 50 प्रतिशत** पर लेगे । विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के विकसित क्षेत्रों पर किसी तरह का बैंक खर्च (लोन), इत्यादि नहीं लेगें । पूंजी मुहैया हेतु विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने, बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने **50 प्रतिशत Built up Area** पर ही विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेंगे किसी भी हालत में भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष का **50 प्रतिशत Built up Area हिस्सा** विकासकर्ता द्वितीय पक्ष बंधक नहीं रखेगें ।

16– यह कि द्वितीय पक्ष विकासकर्ता की हैसियत से उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर निर्माण कार्य करेंगे और सभी अन्य तृतीय पक्ष दावों/विरोधी अथवा कानूनी/गैर कानूनी बाधा पहूँचाने वाले व्यक्तियों/दावेदारो के लिए विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष का साथ देगें ।

17– यह कि प्रस्तावित योजना के तहत भूखंड पर निर्माण कार्य प्रारूप नक्शा का **स्वीकृति नगर परिषद दानापुर/सक्षम पदाधिकारी के द्वारा होने के बाद नगर परिषद दानापुर/सक्षम पदाधिकारी** के नियम के अनुसार निर्माण करना पड़ेगा ।

18– यह कि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारीगण निर्माण के अवधि में कार्य के समय निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण के दौरान गलत होने पर उसे ठीक करवाने का अधिकार होगा ।

19– यह कि कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्ता द्वितीय पक्ष और भू–खण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के द्वारा एक एसोसियेशन सभी सदस्यों का बनाया जायेगा । इस अपार्टमेन्ट में रहने वाले सभी सदस्य एसोसियेशन के सदस्य होगे और सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेन्ट का रख–रखाव एवं देख–भाल करेंगे, और इसमें होने वाले खर्च का वहन सभी सदस्य मिलकर अपने हिस्से के अनुसार करेंगे ।

S.K. Builder's & Colonizer Pvt. Ltd.
Managing Director

27/09/22

20– यह कि जब कभी विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को आवश्यकता होगी भूखण्ड स्वामी की आवश्यकता किसी भी तरह के वसिकाओं के निष्पादन में पड़े उन्हें साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोख्त के लिये स्वामित्व स्थानांतरण हेतु कागजातों पर दोनो पक्ष हस्ताक्षर करेंगे तथा निर्धारित किये गये शेयर्स के मुताबिक आचरण करेंगे।

21– यह कि दोनो पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गयी है कि बहुमंजिली इमारत के छत, Terrace या अन्य सार्वजनिक जगहों (Common Space) का व्यवहार या उपयोग बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2014 के नियम और प्रावधानों के अनुसार भुखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष, विकासकर्ता एवं फ्लैट के खरीदारगण (फ्लैटधारी) करेंगे ।

22– यह कि कोई भी फ्लैटधारी किसी भी रूप में अपने फ्लैट का उपयोग एवं सार्वजनिक जगहों का उपयोग वाणिज्यीक (ऑफिस, कार्यालय, लघु एवं सुक्षम उद्योग, संस्था इत्यादि इस प्रकार के उपयोग से तात्पर्य हैं) कार्यो हेतु नहीं कर सकेगें ।

23– अगर भविष्य में ऐसा आम सहमति के अनुसार होता है तो उससे प्राप्त आय समिति (Society) को जायेगी ।

24– भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष वो विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने–अपने हिस्से की निर्मित क्षेत्र में अपना स्वत्वाधिकारी सुरक्षित रखेगें।

25– यह कि दोनो पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई है कि अपने हिस्से के निर्मित क्षेत्र का स्थानान्तरण प्रस्तावित केता को सरकारी खर्च, स्टाम्प डियुटी एवं कोर्ट डियूटी एवं रजिस्ट्रेशन डियुटी वो अन्य खर्च का वहन केता स्वयं करेंगे ।

26– यह कि एकरारनामा दोनो पक्षों के उत्तसाधिकारों पर लागू रहेगा ।

27– यह कि सभी न्यायिक मामलों का निपटारा क्षेत्रिय दानापुर/पटना व्यवहार न्यायालय के किया जायेगा ।

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

27/09/22

27/09/22

28– यह कि बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम, 2014 की सभी नियम और शर्ते लागू होगी ।

29– यह कि एकरारनामा में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के द्वारा प्राधिकृत कार्यो, किया कलापों, वसीका निष्पादनार्थ विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को दिया जाने वाला अधिकार :–

(i) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष इस एकरारनामा के बाद नक्शा बनाकर नगर परिषद दानापुर,/सक्षम पदाधिकारी के यहाँ नक्शा पास कराने हेतु अपने हस्ताक्षर से नक्शा पेश करेंगे और इसमें बदलाव भी नियमानुसार विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के सहमति से अपने हस्ताक्षर से करेंगे । सभी कागजात, घोषणा पत्र, शपथ पत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर विकासकर्ता नक्शा पास कराने के लिये नगर परिषद दानापुर,/सक्षम पदाधिकारी में जमा कर सके, परमिशन ले सके और नक्शा पास करवाने तथा परमिशन लेने या अन्य कागजी कारवाई में जो भी मूल कागजात की जरूरत होगी तो उसे प्रथम पक्ष विकासक को उपलब्ध करायेगे वो उसमें जो भी खर्च होगा उसका भुगतान विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेंगे ।

(ii) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अपने बहुमंजिला इमारत के निर्माण में यह अधिकार होगा कि वह आर्किटेक्ट, सर्वेयर, इंजीनियर और ठेकेदार इत्यादि की नियुक्ति अपने अनुसार कर सके।

(iii) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष विद्युत कनेक्शन लेने के लिए दरखास्त अपने हस्ताक्षर से देगें और लोहा, सीमेंट या अन्य वस्तु जो कि भवन निर्माण में काम आता है इत्यादि को किसी से भी खरीदने के लिए आवेदन पत्र अपने हस्ताक्षर से दे सकेगें ।

(iv) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड के निश्वत नोटिस इत्यादि प्राप्त कर सकें और किसी

S.K. Builder's & Colonizer Pvt. Ltd.
Managing Director

27/09/22

2-7-09/22

न्यायालय में मुकदमा, शपथ पत्र या वसीका दाखिल कर सके और किसी न्यायालय में हाजिर होकर बयान तहरीर वगैरह जमा कर सके और वकालतनामा भी दाखिल कर सकें।

(v) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष जमीन पर इस एकरारनामा के जरिए खाता खोल सके ताकि वे उक्त नक्शा से भवन निर्माण कार्य कर सके और उनसे जो फ्लैट इत्यादि लेगा वह भी ऋण के लिए बैंक में आवेदन पत्र दाखिल कर सके तथा अपने हिस्से के फ्लैट इत्यादि को किसी के यहाँ बंधक रखकर बहुमंजिला इमारत के फ्लैट इत्यादि का निर्माण कर सके ।

(vi) यह कि भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष इस एकरारनामा के निष्पादन एवं निबंधन के बाद, विकासकर्ता द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सुविधा प्रदान करेंगे, जैसे उक्त भूखण्ड पर जाने रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मेटेरियल जमा करने हेतु एवं अन्य विकासपूर्व कार्य, जमीन मापने हेतु इत्यादि ।

(vii) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष प्रस्तावित योजना के प्रारूप के तहत नई योजनाओं में भवन निर्माण कार्य के लिए तैयारी करेंगे । उसका सुधार भूखण्ड स्वामी प्रथम पक्ष के सहमति से करेंगे तथा सभी तरह के सामान्य (civil) बिजली Plumbing and Sanitaruy कार्यो, जिसमें उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वो पी0आर0डी0ए0/ पी0एम0सी0/ नगर परिषद दानापुर,की स्वीकृत योजना के अनुसार होगा ।

(viii) यह कि प्रस्तावित इमारत पी0आर0डी0ए0/ पी0एम0सी0/ नगर परिषद दानापुर द्वारा स्वीकृत वास्तुशिल्प की विशिष्टयों के अनुसार निर्मित होगी ।

Saurabh Kumar 27/09/22

S.K. Builder's & Colomiser Pvt. Ltd. Managing Director

Saurabh Kumar 27/09/22

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के द्वारा की गयी घोषणा :–

1– यह कि उपर वर्णित भूखण्ड का **मुल रकवा 42.50 डीसमल है।**

2– यह कि उपरोक्त प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी की निजी व खास सम्पत्ति है एवं उनका दखल कब्जा शांतिपर्वूक तरीके से है तथा वे निर्विवाद रूप से अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड के स्वामी है वो सभी तरह के ऋण–भारों से विमुक्त है तथा सभी तरह के वाद–विवाद से पाक व साफ है तथा किसी भी तरह का स्वामित्व से संबंधित किसी भी तरह का नुक्श नहीं है एवं किसी भी तरह का दीवानी एवं फौजदारी मामलों अथवा भूमि हदबंदी कानून के अंतर्गत अधिग्रहण नहीं किया गया है एवं किसी भी तरह का नहीं ऋण मुहैया ले रखी है । यह भी घोषित किया जाता है उक्त मूल भूखण्ड का पट्टा किराया लाइसेंसी अथवा बंदोबस्ती उपहार स्वरूप किसी अन्य विशेष को सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं को भी नहीं दिया गया हैं ।

3– प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी यह भी घोषणा करते है कि उनके भूखण्डों के विरूद्व नगर परिषद दानापुर,/सक्षम पदाधिकारी, भूमि हदवंदी कार्यालय, भूअर्जन कार्यालय तथा अन्य किसी तरह के सरकारी–गैरसरकारी संस्थाओं, सरकारी–गैरसरकारी वित्तीय संस्थाओं या न्यायालय के द्वारा अनुसूची–1 में वर्णित भूखण्ड के अंश या पूर्ण भाग के लिये किसी तरह की अधिसूचना प्रेषित नहीं की गयी हैं ।

4– प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी यह भी घोषणा करते है कि उनके दखल कब्जे वाली उक्त भूखण्ड पर कोई हकीयत, दावा सम्पत्ति अधिग्रहण, अटैचमेन्ट संबंधित अध्यादेश, सूचना एवं किसी तरह का निषेधाज्ञा नहीं किया गया है अथवा टैक्स संबंधित आयकर या बिकय कर राजस्व अधिकारियों द्वारा म्यूनिसपल अधिकारियों द्वारा अथवा सरकारी अधिकारियों द्वारा

Sanjeev Kumar 27/09/22

S.K. Builder's & Coloniger Pvt. Ltd. Managing Director

Sanjeev Kumar 27/09/22

सम्पत्ति के पूर्ण या अंश भाग के लिये किसी भी तरह की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।

5– किसी भी दिवानी या फौजदारी न्यायालय के द्वारा कुर्की, जब्ती अथवा सम्पत्ति अधिग्रहण के लिये या किसी दावों या दावा विशेष के लिये न्यायालय को फैसला अथवा डिग्री यथावत स्थिति बहाल करने का आदेश या मामला संबंधित नहीं है एवं दिवालिया संबंधित सूचना न्यायोचित आदेश को पारित नहीं किया गया हैं ।

6– प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी यह भी घोषणा करते है कि कोई भी व्यक्ति या दावेदारी या हकदार उनके फरीकैनर का सम्पत्ति, हिस्सा दावा टाईटिल वगैरह उक्त भूखण्ड के दावा पूर्णरूपेण या अंश भाग नहीं है या न तो हिन्दु अविभाजित परिवार की सम्पत्ति ही है न ही साझेदारी सम्पत्ति है। सम्पत्ति सभी प्रकार के विघ्न, प्रतिबंध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया ऋण मुक्त एवं साफ हैं ।

7– यह कि प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के द्वारा यह भी विश्वास दिलाया गया है कि उक्त भूखण्ड के किसी भी पूर्ण या अंश भाग के लिये बैय ब्याना, एकसारनामा अथवा सम्पत्ति का स्थानांतरण किसी भी व्यक्ति विशेष को उपहार या वसीयत के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है न भविष्य में करेंगे और न तो किसी साझेदार या परिवार के किसी भी फरीकैनों का हिस्सा है।

8– यह कि उक्त भूखण्ड से संबंधित सभी मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के पास सुरक्षित रहेगा । विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को कार्यालय में उपयोग हेतु फोटो प्रति देंगे । जरूरत पड़ने पर मूल दस्तोवज को प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी कार्यालय में प्रस्तुत करेगें ।

9– यह कि बहुमंजिली इमारत बनने मे सभी तरह के खर्च का वहन इस एकरारनामा के निष्पादन की तिथि से विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जायेगा। जबकि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष

Sumanth Kumar
27/08/22

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

Sumanth Kumar
27/08/22

अंचल अधिकारी कार्यालय
दानापुर (पटना)

उस बात के लिये जवाबदेह नहीं होगें कि इस एकरानामा के निष्पादन के पहले का बकाया राशि अथवा किसी तरह की जवाबदेही नहीं उठायेंगे तथा उसकी जवाबदेही प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी की होगी ।

10– यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि जो भी निर्धारित स्वीकृति प्रस्तावित योजना से यदि थोड़ा कम या ज्यादा से प्रथम पक्ष भूखण्ड स्वामी के सहमति के पश्चात् ही कर सकते है जो कि योजना के वितरण या खंड भाग के लिए कम या ज्यादा कर सके । यद्यपि कानून का उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं होगा।

11– यह कि प्रथम पक्ष अपने हिस्से मे मिले फ्लैट एवं जमीन से संबंधीत सारा सरकारी टैक्स का भुगतान स्वयं करेंगे ।

अनुसूची–1

मवाजी 42.50 डी0 (बेयालीस दशमलव पांच शून्य डीसमल) भूमि आवासीय जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी **मौजा– दानापुर, महल्ला–दानापुर स्टेट बैंक कॉलोनी के नजदीक, परगना– फुलवारी, थाना– दानापुर, जिला– पटना,** तौजी बिहार सरकार, थाना नं0– 21 (एक्कीस), खाता नं0– 486 (चार सौ छियासी) सर्वे खसरा प्लौट नं0–589 (पॉच सौ नवासी), में से। अंचल– दानापुर । जमाबन्दी न0 5143 भाग वर्तमान–98, पृष्ठ सं0–23041 सन् 2020–2021 ई0 ।

यह कि उक्त जमीन का सरकारी मूल्य मो0 4,88,75,000/– रूपया (चार करोड़ अठासी लाख पचहत्तर हजार रूपया) मात्र है।

भूखण्ड स्वामी अर्थात् प्रथम पक्ष को निर्मित संरचना में 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा

प्रस्तावित बहुमंजिला भवन के निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ में प्रदान की जाएगी, वो भूतल पर पार्किंग वो अन्य स्थान में भी 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा ।

यह कि भविष्य में यह बहुमंजिली इमारत बनने के बाद अगर पटना क्षेत्रिय विकास प्राधिकार (विघटित)/नगर परिषद

S.K Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

27/09/22

दानापुर,/सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में बने बहुमंजिली इमारत से उपर या अन्य स्थान पर निर्माण करने की अगर स्वीकृति मिलती है । तब वैसी हालत में जमीन मालिक प्रथम पक्ष के सहमति द्वारा उस समय के एकरारनामा के तैयार होने के अनुसार ही किया जाएगा ।

यह कि बहुमंजिली इमारत में भूतल पर पार्किंग वो स्थान में **50 प्रतिशत हिस्सा** के स्वामी भूखण्ड स्वामी अर्थात् प्रथम पक्ष है यह वसीका ही उनके हिस्से का स्वामित्व पत्र (Title Deed) है । इसी को भूखंड स्वामी अर्थात प्रथम पक्ष के हिस्से का स्वामित्व पत्र (Title Deed) माना गया है। इस वसीका के अलावे किसी भी प्रकार का स्वामित्व पत्र (Title Deed) की आवश्यकता भूखण्ड स्वामी अर्थात् प्रथम पक्ष को नहीं हैं ।

विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को निर्मित संरचना में 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा

प्रस्तावित बहुमंजिली भवन के निर्मित क्षेत्र का **50 प्रतिशत हिस्सा** सभी सुविधाओं के साथ में प्रदान की जाएगी, वा भूतल पर पार्किंग वो अन्य स्थान में भी **50 प्रतिशत हिस्सा** मिलेगा ।

यह कि भविष्य में बहुमंजिली इमारत बनने के बाद अगर नगर परिषद दानापुर,/सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में बने बहुमंजिला इमारत से ऊपर या अन्य स्थान पर निर्माण करने की स्वीकृति मिलती है। तब वैसी हालत में जमीन मालिक प्रथम पक्ष के सहमति द्वारा उस समय के नए एकरारनामा के तैयार होने के अनुसार किया जाएगा । यह कि बहुमंजिली इमारत वो भूतल पर पार्किंग वो अन्य स्थान में भी **50 प्रतिशत हिस्सा** के स्वामी विकासकर्ता द्वितीय पक्ष है। यह वसीका ही उनके हिस्से का स्वामित्व पत्र (Title Deed) है । उसी को विकासकर्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से का स्वामित्व पत्र (Title Deed) माना गया है। इस वसीका के अलावे किसी भी प्रकार का स्वामित्व पत्र (Title Deed) की आवश्यकता विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को नहीं हैं । यह कि विकाशक 6 महीना के अन्दर नक्सा पास करायेगे एवं निंधारित समय के अन्दर एपार्टमेन्ट बना कर जमीन मालिक को देगे अगर निंधारित समय के

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

27/09/22

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

अन्दर नही देगे तो विकाशक दण्ड स्वरुप प्रति महीना एक लाख रुपया जमीन मालीक को देगे ।

फ्लैट का बंटवारा इस प्रकार है :–

जमीन मालिक के हिस्से का फ्लैट

प्रथम तल का पुरा फ्लैट

चतुर्थ तल का पुरा फ्लैट

विचकासकर्ता के हिस्से का फ्लैट

द्वितीय तल का पुरा फ्लैट

तृतीय तल का पुरा फ्लैट

" निर्मित फ्लैटों की विशेषतायें "

1– फाउन्डेशन : आर0 सी0 पाईलिंग स्ट्रक्चर डिजाईनर के अनुसार मगध/टाटा कम्पनी का छड़ सहित भूकम्प अवरोधी

2– स्टक्चर : आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर

3– सिविल वर्क : ईट वर्क लफार्ज/अलट्राटेक सीमेन्ट मेटेरियल के साथ

4– परिसज्जन : सभी भीतरी दिवारें एवं छत में प्लास्टर के उपर वालपुट्टी एवं बाहरी दिवारों में प्लास्टर के उपर वेदरकोट से डवल कोट पुटी प्राइमर सहित होगा ।

5– दरवाजा : दरवाजे का चौखट कपुरशाल का तथा पल्ला 32mm water Proof प्लाई वोर्ड का फ्लश डोर Brass fitting के साथ होगा ।

6– खिड़की : सभी खिड़की जिंदल स्टील का बना होगा ।

7– फर्श : भूतल के फर्श में 65mm इंटरलॉकिंग टाईल्स लगा होगा और ड्राइंग रूम एवं डाईनिंग रूम में 2 X 2 एवं अन्य कमरों में 2 X 2 Virtified tiles (Johnson Comp alias ISI) का होगा । किचेन बाथरूम एवं बालकोनी के फर्श में Anti Skid tiles लगा होगा ।

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.
Managing Director

9– किचेन : कार्यकारी Platfarm ग्रेनाईट का तथा सिंक स्टेनलेस स्टील का रहेगा । कार्यकारी Platfarm से 2 फीट उँचाई तक रंगीन (ग्लेजड) टाईल्स लगा रहेगा । साथ ही साथ सिंक में गर्म एवं ठंढा पानी का व्यवस्था रहेगा एवं खिड़की में Exhaust Fan का जगह छोड़ा रहेगा ।

10-शौचालय : शौचालय में गर्म एवं ठंढ़ा पानी का व्यवस्था एवं दिवारो पर उचाई में 7 फीट ग्लेज्ज टाईल्स लगा होगा, Exhaust Fan का जगह छोड़ा रहेगा। सफाई मानक स्तर का होगा ।

11-बिजली : हैवेल्स के फिटिंग के साथ ISI मार्क

12– बाहर फिनिशिंग : अच्छी क्वालिटी का वेदर कोट

13– अन्दर फिनिशिंग : सभी दिवारों तथा भितरी छत में प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा ।

14– टीबी प्वाईन्ट : सभी फ्लैटो में एक ड्राइंग/डाईनिंग और मास्टर बेडरूम में ।

15– टेलीफोन प्वाईन्ट : सभी फ्लैटों में एक प्वाईन्ट

16– सीवेज : सीवेज डिजाईन के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था ।

17– केबल कनेक्शन : प्रत्येक फ्लैट में एक प्वाईंट मास्टर बेडरूम में

18– ए0 सी0 प्वाईट : मास्टर बेडरूम एवं ड्राइंग हॉल में

19– फायर फाईटिंग : सभी तलो मे रहेगा ।

इस वास्ते यह वसीका विकास एकरारनामा प्रथम पक्ष (भूखण्ड स्वामी) एवं द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) अपने मानसिक वो शारीरिक स्वस्थ–अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव वो धमकाव के अपने तथा परिवार के सदस्यों से राय सलाह लेकर अपने

Saurabh Kumar 27/09/22

S.K. Builder's & Colonisar Pvt. Ltd. Managing Director

27/09/22

हानि–लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली–भाँति समझ वो बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर यह वसीका विकास एकरारनामा एक दूसरे के हक वो बनाम स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिए कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

दिनांक :

S.K. Builder's & Colonisers Pvt. Ltd.

Managing Director

गवाह का नाम एवं पूरा पता

(1)

डेवलपर (विकासक) का हस्ताक्षर

(1) Sunil Kumar 27/09/22

(2) Saurabh Kumar 27/09/22

भूखण्ड स्वामी का हस्ताक्षर

(2) GAURAV KUMAR

S/o- Late Shankar Pd Chaurasia

At Behind Alpha Cinema Road

Dist- Gaya Patna,

27/9/22

Drafted by:

Arvind Kumar

[illegible]

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

अवर निबंधन कार्यलय दानापुर स्थल जॉच।

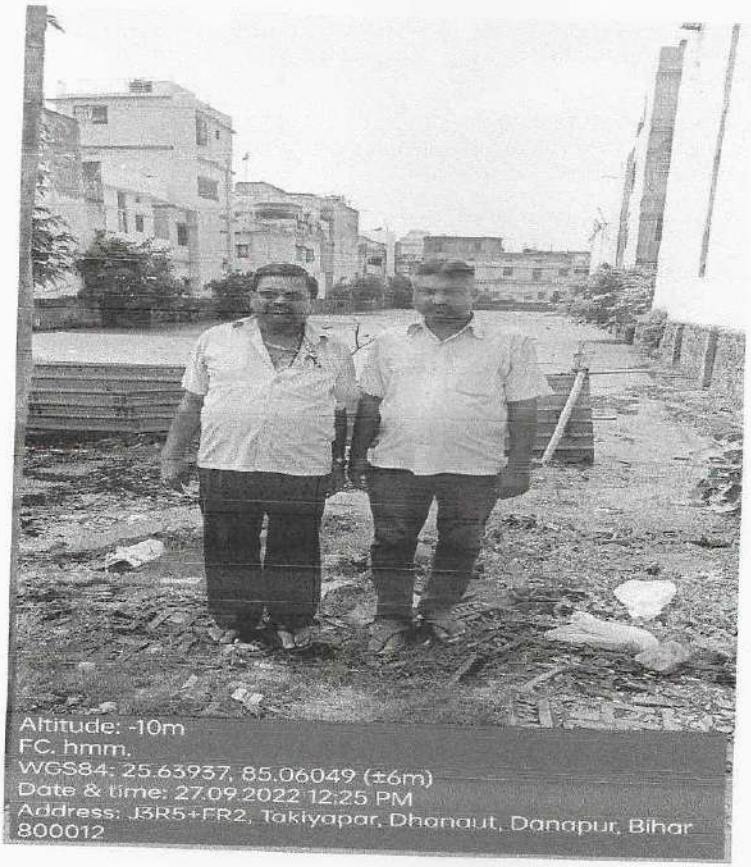

① Suraj Kumar
27/09/22

② Saurabh Kumar
27/09/22

जाँचकर्ता का हस्ताक्षर

विक्रेता का हस्ताक्षर

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

क्रेता का हस्ताक्षर

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 0/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 999000/-

Registration Fee

FEE PAID												
	A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0		
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0		
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
											TOTAL-	0

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	1000
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1000

Registering Officer
Danapur

Date: 28/09/2022

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Wednesday, 28th September 2022 by Suraj Kumar Late Santosh Kumar by profession Others. Status - Executant

Suraj Kumar
28/09/22

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:28/09/2022

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Gaurav Kumar' age '29' Sex 'M', 'Shankar Prasad Chaurasiya', resident of 'Devi Mandir Road, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Danapur

Date : 28/09/2022

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 339 on pages on 298 -320, for the year 2022 and stored in CD volume No. CD-52 year 2022 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : 28/09/2022

Token No. : 17600 Year : 2022 S.No. : 17196 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 16966

INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp

Certificate No.	:	IN-BR422266766873 55U
Certificate Issued Date	:	27-Sep-2022 04:21 PM
Account Reference	:	NONACC (CB)/ brpccbk09/ DANAPUR/ BR-PAT/ DNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-BRBRPCCBK0967105550445004U
Purchased by	:	SK BUILDERS AND COLONISOR PVT LTD
Description of Document	:	Not Applicable
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	Not Applicable
Second Party	:	SK BUILDERS AND COLONISOR PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	SK BUILDERS AND COLONISOR PVT LTD
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	9,78,000(Nine Lakh Seventy Eight Thousand only)
Reg. fee (Rs.)	:	20,000 (Twenty Thousand only)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Discore SC (Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)
Total Amount (Rs.)	:	9,99,000 (Nine Lakh Ninety Nine Thousand only)

सत्यमेव जयते

T-12600

PATLIPUTRA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. DANAPUR

S.K. Builder's & Colonisor Pvt. Ltd.
Managing Director

Do not write or type below this line

JD 0019042690

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

RAB3328754

निर्वाचक का नाम: गौरव कुमार
Elector's Name: Gaury Kumar

पिता का नाम: शंकर प्रसाद चौरसिया
Father's Name: Shankar Prasad Chaurasiya

लिंग/Sex: पुरुष/Male
जन्म तिथि/Date of Birth: 10/03/1993

पहचान

Gaurav
12/3/15

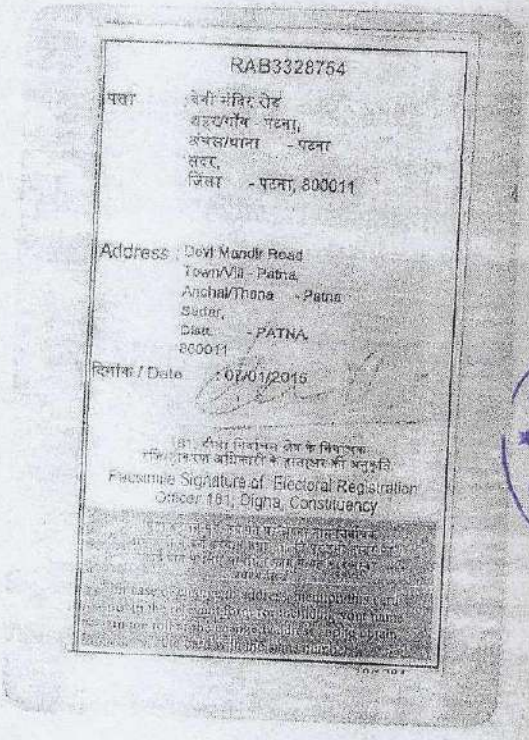

RAB3328754

पता: देवी मंदिर रोड
वार्ड/गाँव - पटना,
अंचल/थाना - पटना
सदर,
जिला - पटना, 800011

Address: Devi Mandir Road
Town/Vill - Patna,
Anchal/Thana - Patna
Sadar,
Dist - PATNA,
800011

दिनांक / Date: 07/01/2015

निर्वाचक निबंधन तंत्र के निबंधक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
Facsimile Signature of Electoral Registration Officer 161, Digha, Constituency

अवर निबंधन अधिकारी
दानापुर (पटना)

COURT FEE INDIA ₹5 RS

POSTAGE & FEE INDIA ₹40 URGENT PAID

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२१)

वाद संख्या ..... वर्ष .....

पक्षकार ..... बनाम ..... वर्ष .....

वाद का प्रकार ..... दीवानी वाद संख्या - 157/83

वाद की तथा कार्यवाही की संख्या और तारीख	वाद और कार्यवाही के पक्षकारों के हस्ताक्षर — मालिक, कर्मचारी, दानापुर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
१	२	३
24-6-83	(1) श्री शिव शंकर साव वगैरह बनाम (2) श्री उपयोग कुमार (3) श्री संतोष कुमार वगैरह श्री शिव शंकर साव मकुआ टोली, दानापुर पो॰ दानापुर पटना पो॰ दानापुर पो॰ दानापुर (2) 642, 643, 200 वाइन 6, मकान नं॰ 60 (1) 642, 643, 200 (3) 642, 643, 200	C.C. No 324 6/11/83
	श्री शिव शंकर साव बनाम श्री शिव शंकर साव वगैरह मकुआ टोली पो॰ दानापुर पो॰ पटना	

कारण सुर ... दीवानी वाद संख्या 157/C.2

दिनांक ..... है। उक्त वाद में दोनों कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ... से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में भागान्तरण को विवादहीन तथा प्रस्तावित भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा बताया है तथा स्वीकृति की अनुशंसा की है।

अतः आपत्ति पत्र दिनांक 30-8-83 तक दाखिल करने के लिये नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 30-8-83 को उपस्थापित करें।

19/8/83

अंचल अधिकारी,
दानापुर।

मुद्रण मैं॰ प्रेस पटना १ (बि॰पी॰ ३०मै॰)

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और उसका कार्य करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	

30.8.93

नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। क्षेत्रीय कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक दानापुर द्वारा नामान्तरण की अनुशंसा की गयी है। जमीन आवेदकों के कब्जे में है, तथा कोर्ट द्वारा शेड्यूल सूट नं. 147/82 द्वारा आवेदित भूमि का बटवारा भी कर दिया गया है। आवेदित भूमि पर आवेदकों का कब्जा में है।

क्षेत्रीय कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन, जमीन पर आवेदकों का कब्जा एवं कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश (बटवारा का) के आधार पर नामान्तरण की कोर्रवाई की जाती है। शुद्धि पत्र कोर्ट को।

अं. अ., दानापुर)

शुद्धि पत्र संलग्न

शिव चन्द्र पाण्डेय 26/9/96

न्यायालय [illegible]

दाखिल खारिज प्रतिवेदन

मुकदमा नं॰ 89 साल 83-84 हल्का नं॰ 6 अंचल- दानापुर

ग्राम - दानापुर परगना - दानापुर थाना नं॰ 24 जिला - पटना

मुकदमा मोजमीन दरख्वा - ५.69½ कि॰ मौजा का अंश - आवसी चंदवारा

पुरा का टुकड़ा होल्डिंग - पुरा कागजात की संख्या × तिथि ×

जरूरमना × उपबेदक की पेशा - खेती

मौजा नं॰ 7801, 7802, 20 ई॰, 11 सी॰

असल होल्डिंग (दाखिल खारिज के पूर्व)

जमाबंदी नं॰	आसामी का नाम पूरे पता के साथ	खाता नं॰	खसरा नं॰	असली ए॰ डि॰	लगान सेस छोड़कर	अभियुक्तियां
463	श्री शिव शंकर साव पिता स्व॰ चमरू साव सा॰ महल्ला - मधु आवसी - दानापुर	824	426	2.20		C.C. No 324 6/11/85
		642	280	9.66		
		369	9234	0.60		
		320	9643	0.22	लगान 2.64 अ॰ सेस	
		693	9290	0.22½		
348				5.69½		अ॰ म॰ जमाबंदी खाते से दुरुस्ती जमीन की (खेत) श्री शिव शंकर साव के
		बाउंड्री नं॰ 1	मकान 42 43 64	6 कट्ठा 5 धुर 2 कट्ठा 6 धुर 65 कट्ठा 3 धुर 25 कट्ठा 3 धुर 24 कट्ठा 4 धुर	लगान 42.42 अ॰ सेस	नाम है बदली है। मुन के
			चाटी होल्डिंग			
1	श्री शिव शंकर साव पिता स्व॰ चमरू साव महल्ला - मधु आवसी - दानापुर	824	426	0.63½	लगान 2.64 अ॰ सेस	का लड़के है, श्री बाबूलाल साव, श्री लालबाबू कुमार, श्री मनोज (नाथ-बेटे) बाबूलाल
		642	280	0.43		
		693	9290	0.22½		
				1.28½		पुट के स॰ ४ 486/82 जब उन्हें
	बाउंड्री नं॰ 1	मकान नं॰ 42	लगान 42.42	6 कट्ठा 5 धुर 2 कट्ठा 6 धुर	लगान 2.64 अ॰ सेस	1 (ए) पटना के द्वारा अपना
1	श्री [illegible] पिता श्री शिव शंकर साव महल्ला - मधु आवसी - दानापुर	824	426	0.63½	लगान 2.64 अ॰ सेस	ही लड़का, मधु के है तथा दिनांक को प्रतिवादी अपने - अपने जमीन पर का कब्जा है। अतः उक्त पटना
		642	280	0.43		
		369	9234	0.54		
		320	9643	0.87		
				2.02½		
	बाउंड्री नं॰ 1	मकान नं॰ 43	लगान 2.22 अ॰ सेस	ल॰ 35 कट्ठा 6 धुर 21 कट्ठा 31½ धुर ल॰ 24 कट्ठा 3 धुर 21 कट्ठा 4 धुर		के कारण से अलग - अलग - अदालत - नाम से [illegible] को देने की [illegible]
3	श्री [illegible] पिता श्री शिव शंकर साव [illegible]	824	426	0.63½	लगान 2.64 अ॰ सेस	
		642	280	0.43		
	[illegible]	320	9643	0.87		
				2.02½		
	बाउंड्री नं॰ 1	मकान नं॰ 43	लगान 2.22 अ॰ सेस	35 कट्ठा 6 धुर 21 कट्ठा 3½ धुर 24 कट्ठा 3 धुर 21 कट्ठा 4 धुर		

[illegible]

[illegible]

28/9/90

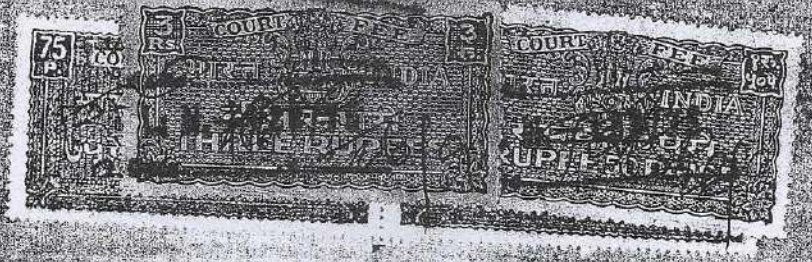

To,

The Circle Officer,

Dinapore Circle (Patna).

Sub:- Mutation of name of Sri Ashok Kumar.

Sir,

I have the honour to submitt that the properties standing in the name of sri Shiv Shankar Pd. was divided into three parts and Schedule X was allotted to Ashok Kumar, Schedule Y was allotted to Shiv Shankar Prasad and Schedule Z was allotted to Santosh Kumar in the final degree passed by Sub Judge 2nd. at patna in T.Suit No. 147 of 1982 between Sri Ashok Kumar. Versus Shiv Shankar Prasad and others vide final degree dated 21.10.82. and all the persons have came on their own seperated takhta and are in possession of the same.

So in the circumstances my Name may kindly be mutated over properties allotted to me in final partition by metes and bounds.

15

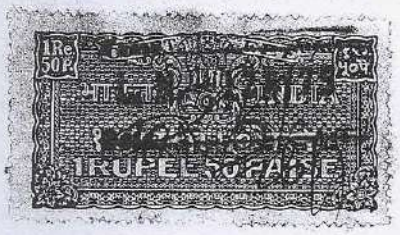

2.

It is, therefore prayed

that your honour may be pleased to

pass an order for Dakhil Khariz

and record my name in Register

II as Rayat over the lands

allotted to me .

And for this I shall be ever pray.

~~Schedule~~ Schedule I.

Description of lands allotted to me

over which my name has to be mutated.

23/12/63

Schedule X.

The separate Takhta allotted to the plaintiff Sri Ashok Kumar s/o Sri Shiv Shankar Pd.are as follows:

१. प्लौट नं० १ सिडिउल २ अर्जी दावो जो पुरो राजो रसकु २० डिसमिल है । तथा उस खेत का सरवे प्लौट नम्बर ५८६ ,खाता नं० ४८६ तौजी नम्बर ८० थाना नं० २१ मौजा दानापुर एवं शहजादपुर थाना दानापुर पटना है उसे नक्सो के अनुसार जो ईनेक्सचर ।है उसे उजला रंग में दिखलाया गया है वह पुदर्द को मिला जिसका च्यौरा निम्नलिखित है :-

इस प्लौट में दो स्थान पर अशोक कुमार को मिला है एक प्लौट १० कठा का जिसकी पैमाइस उतरे दक्षिण ४४ फीट ४ ईच तथा पुरवे पश्चिम ३०७ फीट ६ ईच दक्षिण को तरफ है तथा पुरवे पश्चिम उत्तर को ओर ३०६ फीट ६ ईच है जिसको चौहदो :-

उत्तर :- शिव शंकर प्रसाद

दक्षिण संतोष कुमार

पश्चिम :- कृष्णा वल्लभ प्रसाद सिन्हा हाल केशो चौधरी

पुरब :- सरकारी रोड

इसी पलौट में एक और टोपहा बनाकर जो नक्सा में उजला रंग में दिखलाया गया है वह भी अशोक कुमार को मिला जिसको पैमाइस उत्तर दक्षिण ५५ फीट ६ ईच तथा पुरव पश्चिम दक्षिण

उत्तर तरफ

में ३।।० फीट ४ इंच है तथा पुरबे पश्चिम ३०६ फीट ४ इंच है।
तथा रकबा १२ कठा १४ धुर तथा ४ धुरकी है तथा जिसकी
चौहदी :- उत्तर :- शिव शंकर प्रसाद

दक्षिण :- संतोष कुमार

पुरब :- सरकारी रोड

पश्चिम :- ठाकुर झुतो

~~पुरब~~ :-

इसी प्लौट में हरा रंग में दिखाया नक्सा के अनुसार २ कठा ५ धुर ८ धुरकी का एक संयुक्त रास्ता रखा गया है। जिससे अशोक कुमार तथा उनके वारीसान को भी संयुक्त रूप से रास्ते का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा तथा इस रास्ते को किसी भी करीदेन को बेचने का अधिकार नहीं होगा जब तक तीनों एक साथ सहमत होकर न बेचें और अगर सहमती करीदेन के बेचे तो उससे मिले कीमत में तीनों करीदेन को बराबर बराबर हिस्सा होगा तथा वे तिनों उस रुपये को आपस में बांट लेंगें।

२. प्लौट नं० २ सिडिउल नं० २ अर्जी दावो का कास्त रैयती खेत जो मवाजो १ एक्ह ७७ डो० है जो तौजो नं० ११।८०२ थाना नं० २१ में है। तथा जिसका प्लौट नं० ८४० है तथा खाता नं० ७५२ है और जो मौजा चक रसुन आलम पहाड़ बलोपुर रैपरा परगना कुजवारा थाना वो सबरजिस्ट्री दानापुर है। तथा जो दानापुर में पड़ता है उसमें से बांट कर अशोक कुमार को मिला उसे नक्सा मुताबिक

रंग में दिखलाया गया है। तथा उसका चौहद्दी निम्नलिखित है:-

इस प्लौट के सबसे उत्तर में अशोक कुमार को ५६ डी० का एक डी पहुंचा व-

नाकर जिसकी पैमाईस उत्तर दक्षिने १२३ फीट ४ इंच है तथा पुरब

पश्चिम २१० फिट है उसे अशोक कुमार को दिया गया। जिसको

चौहद्दी निम्नलिखित है :-

उत्तर :- मुन्सी सिंह वगैरह प्लौट नं० ८३६

दक्षिन :- शिव शंकर प्रसाद प्लौट नं० ८४० का एक हिस्सा

पुरब :- प्लौट नं० ८४१ तथा ८४२ का अंश जो श्री परमेश्वर ,पंडित

तथा ,राम चरित्र सिंह के खेत का अंश ।

पश्चिम :- आहर

यह नया बना टोपहा नक्से में हरे रंग से दिखलाया गया है

तथा इसमक्क इस नक्से को कमपरमाईज पैटिशन में संलग्न किया

जाता है। तथा इसे स्नेक्सचर २ बनाया गया।

३. लौट नं० ३ सिडिउल २ अर्जी दावी बाला कास्त व रैयती

खेत मवाजो ७० डी० का है जिसका प्लौट नं० १२३५ है खाता

नं० ३७१ है तथा तौजी नं० ५४०१ वो थाना नम्बर २१ है जो

मौजा दानापुर सज्जादपुर परगना पफुलवारी ,प्र जिलापटना में है।

उस टोपहा को दो भाग में बाट कर दो टोपहा बनाया गया तथा

नक्से में लाल रंग से दिखलाया गया टोपहा क्रश्री अशोक कुमार

अशोक कुमार को दिया गया, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

अशोक कुमार को टोपड़ा ~~प्लॉट~~ प्लॉट के उत्तर तरफ बनाकर दिया गया लाल रंग नक्से में है, जिसकी पैमाईस उत्तर दक्षिण ७५ फीट तथा पुरब पश्चिम २१० फीट है तथा इसका एराजी -जो ३५ डी० है इस प्लॉट के अन्दर एक ताड़ का पेड़ है तथा अर्जी दावो में दिया गया कुंआ का आधा अंश पड़ता है जो आजकल भर गया है। तथा नजर नहीं आता है। इसकी चौहदी निम्नलिखित है:-

उत्तर :- मौसमात भकौलिया का सेत प्लॉट नं० ३५१

दक्षिण :- इसी प्लॉट नम्बर १२३५ का नया बना टोपड़ा संतोष कुमार का।

पुरब :- रामप्रसाद सिंह वगैरह का सेत प्लॉट नं० १२३४ का अंश।

पश्चिम :- अनुप लाल वगैरह का प सेत प्लॉट नं० ३२४ का अंश

यह मौजा टोपड़ा नक्से में लाल रंग से दिखलाया गया है। तथा जिसे कमपरमाइज पेटिशन के साथ संलग्न किया जाता है तथा इज जिसको एनेक्सचर ३ बनाया गया।

४. प्लॉट नम्बर ४ सिडिउल २ अर्जी दावो का वास्त रैयती सेत वो जो असल में जमीन्दो पर ८२ डी० हो संयुक्त परिवार के कब्जे में है। जिसका एराजी ८२ डी० है और यह वाके मौजा दानापुर सहजाद

दानापुर सब्जादपुर परगना फुलवारी थाना वो सबरजिस्ट्री दानापुर तथा सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना है तथा जो तौजी नं० ५४०२ अन्दर थाना नं० २१ के है। तथा जिसका खाता नम्बर ३८० तथा सरवे प्लौट नं० १६५३ है उस टौपड़े को दो भाग में बांटा गया है जो ४१-४१ डो० का है। इस प्लौट के

उत्तर :- अशोक कुमार को नया टौपड़ा बनाकर ४१ डो० कर दिया गया जिसको पैमाइस

उत्तरे ⊕ दक्षिने पुरब तरफ ६० फीट तथा पश्चिम तरफ उत्तरे दक्षिन ६५. फीट है तथा यह सुरवे पश्चिमें ६६० फीट है तथा नक्से में लाल रंग से दिखलाया गया है। जिसको चौहदो निम्नलिखित है:-

उत्तर :- हफलाल सिंह वा सैत प्लौट नं० १६५६

दक्षिण :- इसी प्लौट १६५३ का अंश जो संतोष कुमार को इस बंटवारा के से नया टौपड़ा बनाकर दिया।

पुरब :- भागवत सिंह वा सैत प्लौट नं० १६५७.

पश्चिम :-हफलाल सिंह का सैत प्लौट नम्बर १६५४

इस प्लौट को नक्से में अशोक कुमार का हिस्सा वाला नया टौपड़ा लाल रंग से दिखलाया गया है। तथा इस नक्से को कमपरमाइज पेटिशन के साथ संलग्न किया जाता है। और इसे एनेक्सचर ४ बनाया गया।

५. मकान जो लौट नं० ८ हिस्सा २ अर्जी दावो में दिया गया है। उसे मकान को दो भाग में बांटा गया है तथा अशोक कुमार को एक हिस्सा पश्चिम तरफ मिला उस मकान का होल्डिंग नं० ६० ए (पुराना) तथा हो० नं० ७ ६३ (नया) यह महाल नं०१ वार्ड नं० ६ गोला रोड थाना वो शहर दानापुर परगना फुलवारी जिला पटना में है। तथा यह दानापुर निजामत म्युनिसिपैलटी के अन्दर पड़ता है जिस पुरे मकान को राजो १७६७½वर्गफीट तथा वर्ग इंच है उसे दो भाग में बांट कर ८८३६ वर्ग फिट वर्ग इंच राजी अशोक कुमार को मिला जिसे नक्से में लाल रंग से दिखलाया गया है तथा जिसको पैमाईस उतरे दक्षिन ५० फीट ७ इंच तथा पुरवे पश्चिम २९ फीट ३।।० इंच इसको चौहदो निम्नलिखित है:-

उत्तर :- ओम प्रकाश और वीर प्रकाश मकान नं० ६१

दक्षिन :- पटना दानापुर मेन रोड

पुरब :- संतोष कुमार को बंट कर इसी मकान से मिला हुआभाग।

पश्चिम :- ओम प्रकाश और वीर प्रकाश हो० नं० ६० पुराना / ६३ नया

यह नक्से में लाल रंग से दिखलाया गया है तथा इसे कम्परमाइज पेटिशन के साथ संलग्न किया जाता है तथा इसे स्नेक्सचर ५ बनाया जाता है।

६. : मकान जो लॉट नं० ६ शिडिउल २ अजोदावो मैदिया गया है उसे भी दो भाग में बाँट दिया गया और उस मकान के उतर तरफ के भाग को अशोक कुमार को दिया गया जिसे नक्से में लालरंग से दिखलाया गया है। तथा जिसको पैमाइस २३ फीट ५ इंच पुरबे पश्चिम तथा २५ फीट ३ इंच उतरे दक्षिने है। इस मकान का हो० नं० १३२ ए पुराना तथा १४७ नया है, यह मकान महाल नं० १. वार्ड नम्बर ६ गोला रोड दानापुर में पड़ता है तथा यह दानापुर निजामत म्युनिसिपलेटी के अन्तर्गत है तथा जो पटना जिला के अन्दर है और इसकी चौहदी निम्नलिखित है:-

उत्तर :- मकान शिव दत प्रसाद

दक्षिण :- इसी मकान से बंट कर मिला हुआ हिस्सा संतोष कुमार का ।

पुरब :- गोला रोड

पश्चिम :- कौलो खास ओम प्रकाश एवं वीर प्रकाश का और बादह मकान ओम प्रकाश और वीर प्रकाश का ।

~~मकान ओम प्रका और वीर प्रकाश का~~

यह नक्से में लाल रंग से दिखलाया गया है तथा इसका नक्सा हस्तगत हुज पेटीशन के साथ संलग्न किया जाता है । और इसे एनेक्सचर ६ बनाया जाता है। इस तरह से कुल जायदाद में एकतिहाई हिस्सा बाटकर उपर लिखा अंचल सम्पति अशोक कुमार मुदई को मिला

2-3/2/83

विश्वनाथ सिंह
26/9/98

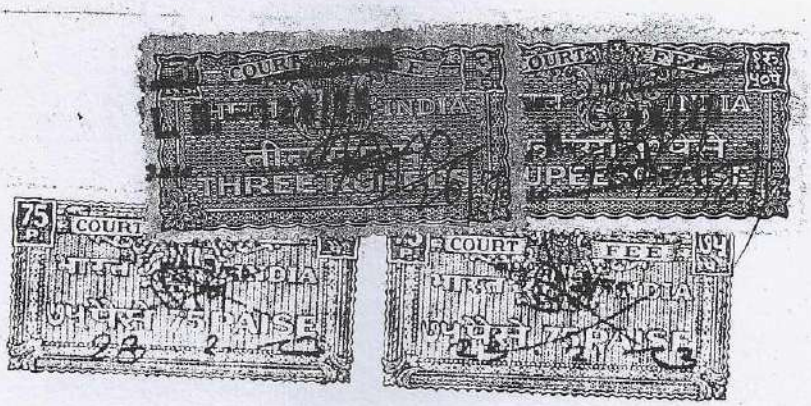

To,

The Circle Officer,

Dinapur Circle(Patna).

Sub: Mutation of name of Santosh Kumar.

Sir,

I have the honour to submit that the properties standing in the name of Sri Shiv Shankar Prasad was divided into three parts and Schedule X was allotted to Ashok Kumar, Schedule Y was allotted to Shiv Shankar Prasad, and Schedule Z was allotted to Santosh Kumar in the Final decree passed by Sub Judge IInd. at Patna in T.Suit No. 147 of 1982 between Sri Ashok Kumar Vrs. Shiv Shankar pd. and others, vide Final decree dated 21.10.82. and all the persons have come on their own separated takhta and are in possession of the same.

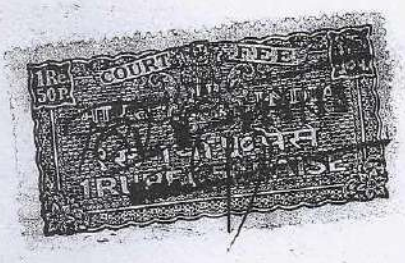

2.

So in the circumstances my name may kindly be mutated over properties allotted to me in final Partition by meats and bounds.

It is, therefore prayed that your honour may be pleased to pass an order for Dakhil Khariz and record my name in Register II as Rayat over the lands allotted to me.

And for this I shall be ever pray.

Schedule I.

Description of lands allotted to me over which my name has to be mutated.

23/12/83

: 10 :

Schedule 'Z'

The seperate Takhta allotted to defendant no.2 Shri Santosh kumar s/o Sri Shankar Pd. are as follows

१. प्लॉट नं० १ सिटिउल नम्बर २ अर्जी दावो जो पुरो एराजी २ एकड़ २० डी० है तथा उस खेत का सरवे प्लॉट नं० ५८६ खाता नं० ५८६ तौजी नम्बर ८० थाना नं० २१ मौजा दानापुर सहजादपुर थाना दानापुर पटना है उसे नक्से के अनुसार जो एनेक्सचर १ है उसे नीला रंग में दिखलाया गया है । वह मुद्दालेयह नं० २ संतोष कुमार को मिला जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है।

इस प्लॉट में २ स्थान पर संतोष कुमार को मिला है। एक टोपहा टोपहा ४० बट्ठे का है. जिसको पैमाइस उत्तरे दक्षिने ४४ फीट २।।० इंच है तथा पुरवे पश्चिम उत्तर तरफ ३०७ फीट ६ इंच है और पुरवे पश्चिमे दक्षिन तरफ ३०८ 6/12 ६ इंच है जिसकी चौहदी निम्नलिखित है:

उत्तर :- अशोक कुमार

दक्षिन :- इसी प्लॉट में नया बना रास्ता जोनक्सा में हरा रंग मेंहै।

पुरब :- सरकारी सड़क ।

पश्चिम :- ठाकुर फातो ।

इसी प्लॉट में एक और टोपहा बना पर जो नक्सा

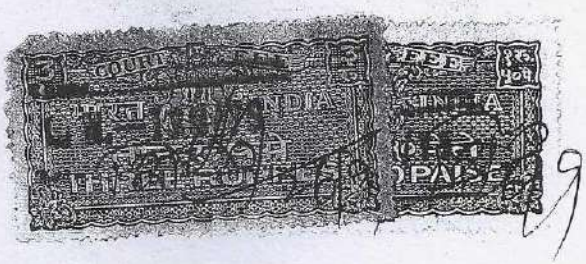

:2:

में नीला रंग से दिखलाया गया है। तथा इस पुरे प्लौट के सबसे दक्षिण तरफ पड़ता है वह भी संतोष कुमार को मिला जिसकी एराजी ४२ कठा १४ धुर ४ धुरकी है तथा जिसकी पैमा इस उत्तरे दक्षिने ५५ फीट ८ इंच तथा पुरवे पश्चिमे उत्तर तरफ ३११ फीट ४ इंच तथा पुरवे पश्चिमे दक्षिन तरफ ३१४ फीट तथा जिसकी चौहदी निम्नलिखत है:-

उत्तर :- अशोक कुमार

दक्षिन :- ओम प्रकाश , वीर प्रकाश

पुरब :- सड़क

पश्चिम :- महावीर महतो तथा गजाधर महतो के खेत का अंश

इसी प्लौट में हरा रंग में दिखलाया गया नक्शा के अनुसार २ कठा ५ धुर ८ धुरकी का एक संयुक्त रास्ता रखा गया जिससे संतोष कुमार तथा उनके वारीसान को भी संयुक्त रूप से रास्ते का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा तथा इस रास्ते को किसी भी फरीकैन को बेचने का अपने अधिकार नहीं होगा, जब तक दोनों फरीकैन एक साथ सहमत होकर न बेचें। और अगर सहमती पक्षकार फरीकैन के बेचे बढ़े तो उससे पिछे किमत में दोनों फरीकैन को

बराबर बराबर हिस्सा होगा तथा वे तीनों उस रुपये को बराबर बराबर आपस में बाँट लेंगे।

२. लाँट नं० २ सिडिउल२ अर्जी दावो का कास्त रैयती खेत जो मवाजो १ रकबा ७७ हो० है जो तौजी नं० ११।८०२ थाना नं० २१ में है। तथा जिसका प्लाँट नं० ८४० है तथा खाता नं० ७५२ है और जो मौजा चक रहुल आलम स महल्ला बलीपुर रैघरा प्रगना फुलवारी थाना वो सबरजिस्ट्री दानापुर है। तथा जो दानापुर में पड़ता है उसमें से बंटकर संतोष कुमार को मिला उसे नक्शा में लाल रंग से दिखलाया गया है तथा उसका ब्यौरा निम्न लिखित है । इस प्लाँट के पश्चिम से दक्षिन तरफ संतोष कुमार को ५६ हो० का एक टोपहा बनाकर जिसकी पैमाइश उत्तरे दक्षिने १२३ फीट ४ इंच तथा पुरवे पश्चिमें २१० फीट है उसे संतोष कुमार को दिया गया जिसकी चौहदी निम्नलिखित है:-

उत्तर :- शिव शंकर प्रसाद

दक्षिन :- आहर

पश्चिम :- आहर

पुरव :- महेश्वर सिंह वगैरह

यह नया का टोपहा नक्शे में लाल रंग से दिखलाया गया है।

तथा यह नक्सा एनेक्सचर २ है।

३. लौट नं० ३ सिडिउल नम्बर २ अर्जी दावो वाला कास्त रैयती खेत मवाजी ७० हो० का है। जिसका पलौट नं० १२३५ खाता नं० ३७९ तौजी नं० एप ५४०१ थाना नं० २१ मौजा दानापुर शाहजादपुर परगना फुलवारी शहर दानापुर को जिलापटना में है उस टोपहा को दो भाग में बाँट कर दो टोपहा बनाया गया तथा नक्से में उजला रंग से दिखलाया गया टोपहा ३५ हो० का है वह श्री संतोष कुमार को दिया गया जिसका च्यौरा निम्नलिखित है:-

संतोष कुमार को टोपहा पलौट के दक्षिन तरफ नया बनाकर दिया गया जिसे नक्सा में उजला दिखलाया गया जिसको पैमाइस उतरे दक्षिने ७५ फीट तथा से पुरवे पश्चिम २१० फीट है तथा इ सकी कुल रकबा ३५ हो० है इस पलौट में अर्जी दावो में दिया गया जुंजा का आधा अंश पड़ता है जो आजकल प्रयोग किया गया है। तथा नजर नहीं आता जिसकी चौहदी निम्नलिखित है:-

उत्तर :- अशोक कुमार
दक्षिण :- सुरज कुमार महतो तथा हीरोल राय का खेत ।
पुरब :- राम प्रसाद सिंह वगैरह का खेत
पश्चिम :- अनुप लाल वगैरह का खेत ।

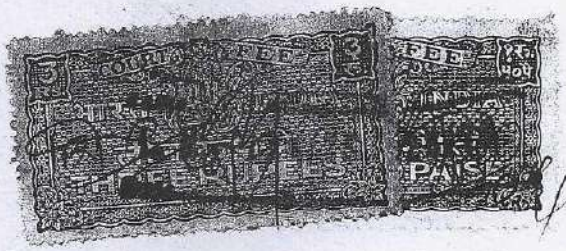

यह टौपहा नक्से में उजला रंग से दिखलाया गया है। तथा

जिसे कम्परमाइज पेटिशन के साथ संलग्न कर एनेक्सचर ३ बनाया

गया है।

४. लौट नम्बर ४ सिडिउल २ का रैयती खेत जो असल में दो

जमीन पर ८२ डो० है संयुक्त परिवार के कब्जे में है जिसका रकबा

८२ डो० है और यह बावे मौजा दानापुर साहजादपुर

प्रगना फुलवारी थाना वो सबरजिस्ट्री दानापुर तथा सदर राजिस्ट्री

वो जिला पटना है तथा जो तौजी नम्बर ५४०२ अन्दर थाना

नं० २१ के है। जिसका खाता नं० ३८० तथा सरवे प्लौट नम्बर १६५३ है उस

टौपहे को दो भाग में बाँटा गया है। जो ४९-४९ डो० कहे। उस प्लौ

-ट के दक्षिन में संतोष कुमार को नया टौपहा बनाकर ४१ डो० का दिया गो

गया जिसका पैमाइस उत्तरे दक्षिने पुरब तरफ ६० फीट तथा उत्तरे

दक्षिने पश्चिम तरफ ६५ फीट तथा यह पुरबे पश्चिमे ४६० फीट

है तथा यह नक्सा में उजला रंग में दिखलाया गया है। तथा

जिसकी चौहदी निम्नलिखित है:-

उत्तर :- अशोक कुमार

दक्षिन :- परमेश्वर राम

पृष्ठ : 15

पूरब :- भागवत सिंह

पश्चिम :- इकबाल सिंह

इस पलौट को नक्से में संतोष कुमार वाला नया टोपड़ा उजला रंग से दिखलाया गया है जो स्केलसमर ४ है।

५. मकान जो लौट नं० ८ सिडिउल २ अर्जा दावो में दिया गया है उस मकान को दो भाग में बांटा गया है। तथा संतोष कुमार को एक हिस्सा पुरब तरफ मिला उस मकान का हो० नं०

हो० नं० ६० ए पुराना
हो० नं० ६३ नया

यह महाल नं० १ वार्ड नं० ६ गोला रोड थाना वो शहर दानापुर प्रगना फुलवारी जिलापटना में है । तथा यह दानापुर निजामत म्युनिसिपलेटी के अन्दर पड़ता है उस पुरे मकान को एराजी १७६७२ वर्ग फीट तथा १ वर्ग इंच है उसे दो भाग में बांट कर ८८३६ वर्गफीट तथा ६ वर्ग इंच एराजी संतोष कुमार को दिया गया व मिला जिसे नक्से में उजला रंग से दिखलाया गया है तथा जिसकी पैमाइस उतरे दक्षिने ३८ फीट ७ इंच तथा पुरबे पश्चिम २१ फीट ३११० इंच है। जिसकी चौहदी निम्नलिखित है :-

उत्तर :- ओम प्रकाश , वीर प्रकाश



:-20-: 16

द दक्षिण :- दानापुर मेन सड़क ।

पुरब :- ३ फीट चौड़ा कौली उसके बाद मकान ओम प्रकाश
एवं वीर प्रकाश ।

पश्चिम :- अशोक कुमार

यह नक्शा में उजला रंग से दिखलाया गया है तथा

ए ग्रेक्सचर ५ हैं।

६. मकान जो लौट नं० ६ सिडिउल २ अर्जी दावो में दिया

गया है उसे दो भागों में बाट दिया गया है और उस मकान के

दक्षिन तरफ के भाग को संतोष कुमार को दिया गया । जिसे

नक्से में उजला रंगसे दिखलाया गया है तथा जिसको पैमाइस २३

फीट ५ इंच पुरबे पश्चिमें तथा उत्तरे दक्षिन २४ फीट ४०६० इस मकान

का होलडिंग नं० १३२ ए पुराना है।
६४७ नया

यह महाल नं० १ वार्ड नं० ६ अन्दर दानापुर

निजामत म्युनिसिपलेटी के हैं तथा यह गोला रोड दानापुर

जिलापटना में है। और इसकी चौहदी निम्नलिखित है:-

उत्तर :-अशोक कुमार

दक्षिन :- ओम प्रकाश , वीर प्रकाश

पुरब :- सरकारी सड़क गोला रोड

पश्चिम :- कौली ओम प्रकाश वीर प्रकाश और बाद में मकान ओमप्रकाश
वीर प्रकाश का ।

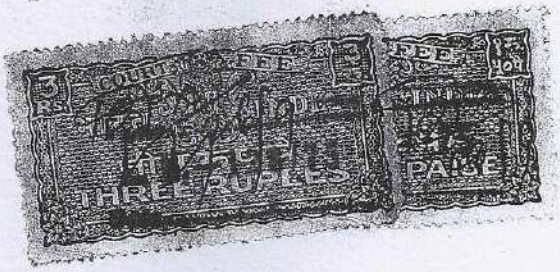

17

: 7 :

यह नक्शा में उजला रंग से दिखलाया गया है। तथा यह

स्पेसिफिकेशन है।

इस तरह से कुल जायदाद में एक तोहाई हिस्सा बंटकर

उपर लिखा अचलसम्पति संतोष कुमार पुत्र को यह नं० २ को

मिला ।

Advocate
23/9/96

शिवपाल पांडे
26/9/96

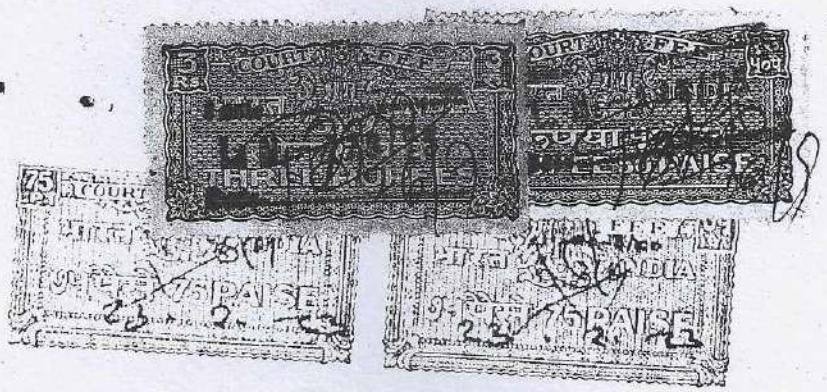

23
3/3/82

To,

The Circle Officer,

Dinapur Circle (Patna).

Sub: Mutation of name of Sri Shiv Shankar Prasad.

Sir,

I have the honour to submitt that the properties standing in my name of Sri Shiv Shankar Prasad was divided into three parts and Schedule X was allotted to Ashok Kumar, Schedule Y was allotted to Shiv Shankar Pd. and Schedule Z was allotted to Santosh Kumar in the final decree passed by Sub Judge IInd. At patna in T.Suit No.147 of 1982 between Sri Ashok Kumar. Vrs. Shiv Shankar Pd and others, vide final decree dated 21.10.82. and all the persons have came on their seperated Takhta and are in possession

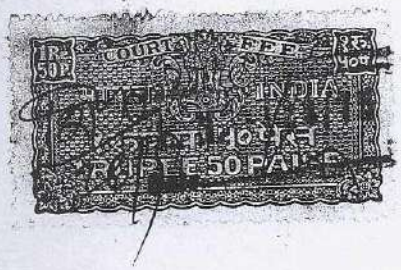

of the same.

So in the circumstances my name may kindly be mutated over Schedule y properties allotted to me in final partition by meats and bounds.

It is, therefore prayed that your honour may be pleased to pass an order for Dakhil Khariz and record my name in Register II as Rayat over the lands allotted to me.

And for this I shall be ever pray.

Schedule I.

Description of lands allotted to me over which my name has to be mutated.

13. 6

Schedule 'A'

The seperate tukhta allotted to the def
Shri Shiv Sankar Prasad s/o late Shyam
is follows:

१

१. प्लॉट नं० १ सिडिउल २ जमीन दाबो जो पुरो एराजी २ एकड़२० डिसमिल है तथा उस खेत का सरवे फाँट नं० ८६ खाता नं० ४८६ तौजी नम्बर ८० थाना नं० २८ मौजा दानापुर सहजादपुर थाना दानापुर जिलापटना है उसे नक्से के अनुसार जो स्नैक्सचर १ है उसे लाल रंग में दिखलाया गया है वह मुदाखेवह नं० १ शिव शंकर प्रसाद को मिला । जिसका चौहदी निम्नलिखित है:-

इस फाँट में दो स्थान पर श्री शिव शंकर प्रसाद को मिला है।

एक फाँट ८० बटे का जिसकी पैमाइस उत्तर - दक्षिण ८८ फीट ५ ११ ईंच तथा पुरबे पश्चिम ३०६ फीट उत्तर तरफ और पुरबे पश्चिम ३०६ फीट ६ ईंच दक्षिन तरफ है तथा यह फाँट नं० ५८६ का सबसे उतरवारो भाग है तथा जिसकी चौहदी निम्नलिखित है:-

उत्तर :- बाउन्डरी पोलरस उसके बाद गन्हा

दक्षिण :- अशोक कुमार को मिला हुआ ८० बटा वाला हिस्सा

पुरब :- दानापुर सहर

पश्चिम :- नौरंगा मिस्त्री

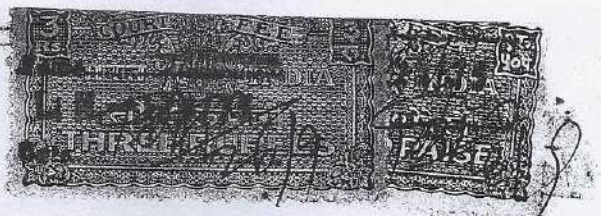

-: ६ :-

इसी प्लौट में एक और टोपड़ा बनाकर जो नक्सा में लाल रंग से दिखलाया गया है वह भी श्री शिव शंकर प्रसाद की मिल्कियत है। जिसकी पैमाइश उत्तर दक्षिण ५६ फीट तथा पुरबे पश्चिम ३०८ फीट ८ईंच अन्दाजन तथा 30 फीट 8 ईंच पुरबे पश्चिम दक्षिण तरफ तथा जिसको हदबस्त ४२ कठा ४४ धुर ४ धुरकी है तथा जिसको चौहदी हस्ब जैल है :-

उत्तर :- प्राइवेट संयुक्त रास्ता इसी प्लौट में बना है जो नक्से में हरा रंग से दिखलाया गया है।

दक्षिन :-अशोक कुमार वाला नया बना हुआ टोपड़ा

पुरब :- सरकारी सड़क ।

पश्चिम :- ठाकुर महतो ।

इसी प्लौट में हरा रंग में दिखलाया गया नक्सा के अनुसार दो कठा ५ धुर ८ धुरकी का एक संयुक्त रास्ता रखा गया जिससे श्री शिव शंकर प्रसाद को संयुक्त रूप से रास्ता को इस्तेमाल करने का अधिकार होगा तथा इस रास्ते को किसी को करोकैन को बेचने का अधिकार नहीं होगा जबतक तोनों करोकैन एक साथ सहमत होकर न बेचें और अगर सहमती करोकैन के बेचें तो उससे मिले किमत में तोनों करीकैन को बराबर बराबर हिस्सा

हिस्सा होगा तथा वे दोनों उस रुपया को आपस में बराबर बराबर

बाट लेंगे।

२. लौट नं० २ सिडिउल नम्बर २ अर्थात दावो का खेत जो मवाजो

१ रकबे ७७ डी० है जो तौजी नं० ११ ।८०२ थाना नं० २१ में है।

तथा जिसका प्लौट नं० ८४० है तथा खाता नं० ७५२ है और

जो मौजा अबदुल्ला आलम महाल बलीपुर रेघरा परगना फुलवारि

थाना को सबराजिस्ट्री दानापुर है तथा जो दानापुर में

पड़ता है उसमें से बाटकर श्री शिव शंकर प्रसाद को मिला उसे

नक्सा में उजलारंग में दिखलाया गया है। तथा इसके पिछे भाग

को एराजी ५६ डी० है तथा इसका चौहरा निम्नलिखित है:-

इस प्लौट के मध्य में ५६ डी० का एक टोपहा बनाकर

जिसकी पैमाइस उत्तर दक्षिने १२३ फीट ४ इंच तथा पुरवे

पश्चिम २१० फीट है उसे श्री शिव शंकर प्रसाद को

दिया गया तथा इसकी चौहदो निम्नलिखित है:-

उत्तर :- अशोक कुमार

दक्षिन :- संतोष कुमार

पश्चिम :- आहर

पुरब :- राम चरित्र सिंह और महेश्वर सिंह

यह नया बना टोपड़ा नक्से में उजला रंग से दिखलाया गया है जो एनेक्सचर २ है।

३. प्लौट नम्बर ५ सिडिउल २ अर्जी दावो वाला मकानो २२।।०डो एराजो हाकियत कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा चक अता उल्लाह दानापुर प्रगना फुलवारी थाना व सबरजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री वो जिलापटना व तौजो नम्बर ११।८०२ थाना २१ खाता नम्बर ७१३ सर्वे प्लौट नम्बर १२१० , एराजो २२।।० हो० श्री शिवशंकर प्रसाद को मिला जिसकी चौहदो निम्नलिखीत है:-

उत्तर :- राम स्वरूप प्रसाद

दक्षिण :- ओम प्रकाश और वीर प्रकाश

पुरब :- निजु गली

पश्चिम :- सरकारी सड़क ।

४. प्लौट नं० ६ सिडिउल २ अर्जी दावो में वर्णित मकान जो कम्पाउन्ड के अन्दर पड़ता है । वो श्री शिवशंकर प्रसाद को मिला है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:- हौ० नं० ६१ वार्ड नम्बर ३ महाल नम्बर ३ है तथा यह मकान तीन मंजिला इतदार है तथा जिसकी चौहदो निम्नलिखित है:-

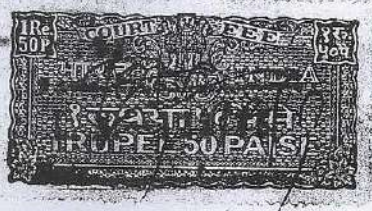

:-१२-: 10

उत्तर :- मकान इन्द्र प्रसाद

दक्षिण :- दानापुर पटना मैनरोड

पुरब :- वीर प्रकाश एवं ओम प्रकाश

पश्चिम :- वीर प्रकाश ओम प्रकाश और सोमारी साव वगैरह

५. मकान जो लीज नम्बर ७ सिटिजन नम्बर २ आर्य वादी है है तथा जो दानापुर निजामत म्युनिसिपलटी में पड़ता है वह श्री शिव शंकर प्रसाद की मिल्क तथा जिसका चौहद्दी निम्नलिखित है।

हौ० नं० ६२ पुराना ६५ नया महाल नं० १, वार्ड नम्बर ६ जो मकान खपड़हर है तथा जिसमें ४ कोठरियों के साथ आंगन, ओसारा और कुँआ चौहद्दी चार हाथ का पक्का सिमेन्टेड है तथा यह मकान खाम खपरापोश है जिसकी पैमाइस उत्तर दक्षिण ७० फीट ६ ।।० इंच का तथा पुरबे पश्चिम ६८ फीट ६ इंच है तथा जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:

उत्तर :- कोली होमा साव तेली की रामाश्रय जायसवाल

दक्षिन :- पश्चिम कोली शिव दत प्रसाद वगैरह जो मकान नं० ६०

पुरब :- गंगा बाबू और गली और शिव दत प्रसाद

पश्चिम :- गली की राम विलास

यह पुरा मकान श्री शिव शंकर प्रसाद की मिल्क ।

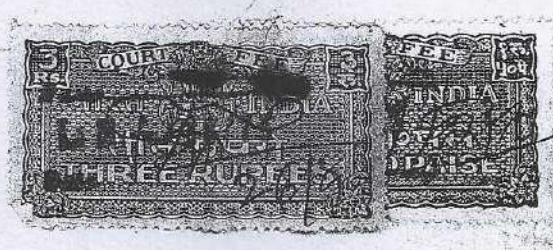

-११- ॥

इस तरह से कुल जायदाद में एक तिकाई हिस्सा वाद कर उपर

लिखा अचल सम्पत्ति शिव शंकर प्रसाद मुदालैयह नं० १ को मिला।

23/12/83

विकल्पधारी पंडित
26/9/96



१ नाम मोकिरान :→ (१) श्री संतोष कुमार पिता स्वर्गीय शिव शंकर प्रसाद प्रथम पक्ष
(२) श्रीमती सीता देवी धर्मपत्नी श्री संतोष कुमार द्वितीय पक्ष
(३) श्री सुरज कुमार पिता श्री संतोष कुमार तृतीय पक्ष (४) श्री सौरभ कुमार पिता श्री संतोष कुमार चतुर्थ पक्ष सभी मोकिरान का निवास स्थान छोटी मधुआटोली थानाकी पत्तालय दानापुर जिला पटना भारतीय नागरिक।-

२ नाम मोकिर :→ आपस में।—
उलीहे

३ किसीम :→ कटवारा नामा।—
वसीका

४ तायदाद जमीन :→
कटवारा

1 Santosh Kumar
3.9.-25

2 Sita Devi

3 Suraj Kumar

4 Saurabh Kumar

शरतसंख्या
बटवारा

जमीन नं 1

जो जायदाद प्रथम पक्ष श्री संतोष कुमार को बटकर हिस्सा में मिला वो आज से हक हाँसिल हुआ चाहिये कि श्री संतोष कुमार अपने बटकर मिले सम्पत्ति पर काबीज रहकर अपना नाम बिहार सरकार के जमीनदार के नामांकन खजिस्टर पर दर्ज करा लेंगे जिस जिस मशरफ में लाना चाहे लायेंगे उसमें द्वितीय पक्ष वो तृतीय पक्ष को कोई हक बाकी नहीं रहा वो न आइन्दा होगा।-

4 संतोष कुमार 3-8-08

3 Suraj Kumar

2 रामदेवी

1 सूरज कुमार

मवाजी 31 उसमील (एकतीस उसमील) वाके मौजा दानापुर शहजाद पुर थाना दानापुर जिला पटना थाना नं 21 खाता नं 486 खेसरा नं 258

लाट नं 2

मवाजी दो किता मकान वाके महल्ला दानापुर मोलाहेज-थाना दानापुर जिला पटना अद्द नगर पालिका दानापुर कहे।

वार्ड नं०	महाल नं०	होल्डिंग नं०	एरिया
6 -	9 -	60/63	सोलह आना मेना मकान
" -	" -	932/986	सोलह आना मेना मकान

जवाद वीर एकारा
H.O देवी मंदिर के पास
दानापुर कैंट जि० पटना
3-4-09

जमीमा नं० २

जो जायदाद तृतीय पक्ष श्रीमती रीता देवी को कटक (हिस्सा में मिला को आज से हक हाँसिल हुआ चाहिये कि श्रीमती रीता देवी अपने कब्जा मिले सम्पत्ति पर काबीज रहकर अपना नाम बिहार सरकार के जमीनदारी के नामांकन रजिस्ट्रेई पर दर्ज करा लेवेंगे जिस जिस मशरफ मे लाना चाहे लावेंगे उसमे प्रथम पक्ष को तृतीय पक्ष को चतुर्थ पक्ष को कोई हक बाकी नहीं रहा को न आइन्दा होगा।-

मवाजी डुमरीला खेराजी वाकै मौजा दानापुर शहजादपुर थाना दानापुर जिला पटना थाना नं० २१ खाता नं० ३७१ खेसरा नं० १२३५

जमीमा नं० ३

जो जायदाद तृतीय पक्ष श्री सुरज कुमार को कटकर हिस्सा में मिला को आज से हक हाँसिल हुआ चाहिये कि श्री सुरज कुमार अपने कब्जा मिले सम्पत्ति पर काबीज रहकर उपना नाम बिहार सरकार के जमीनदारी के नामांकन रजिस्ट्रेई पर दर्ज करा लेवेंगे जिस जिस मशरफ मे लाना चाहे लावेंगे उसमे प्रथम पक्ष

4 श्रीराम कुमार

3 Suraj Kumar

2 रीता देवी

1 दीपक कुमार 3-5-19

का द्वितीय पक्ष का चतुर्थ पक्ष का कोई हक बाकी नहीं रहा का न आइन्दा होगा—

मवाजी ३५ १/४ डीसमील (सवा पैंतीस डीसमील) वाके मौजा दानापुर शहजादपुर थाना-दानापुर जिला पटना थाना नं० २१ खाता

खाता	खेसरा	रेकबा
७५२	८४०	२ १/२ डी०
४८६	२८५	५ ३/४ डी०
		३५ १/४ डीसमील

जमीमा नं०४

जो जायदाद चतुर्थ पक्ष श्री सौरभ कुमार को देकर हिस्सा में मिला को आज से हक हकिलत हुआ चाहिये कि श्री सौरभ कुमार अपने करार मिले सम्पत्ति पर काबीज रहकर अपना नाम बिहार सरकार की जमीनदारी के नामांकन रजिस्ट्रेशन पर दर्ज करा लेवे जिस जिस मशरूफ में जाना चाहे लगावे इसमें प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष का तृतीय पक्ष का कोई हक बाकी नहीं रहा का न आइन्दा होगा—

मवाजी ३५ १/४ डीसमील (सवा पैंतीस डीसमील) रेकबी वाके मौजा दानापुर शहजादपुर थाना

Suraj Kumar सौरभ कुमार
खाता नं०

4 सतीश कुमार

3 Suraj Kumar

2 शांता देवी

1 देवनाथ कुमार
3-र-पेंड

दानापुर जिला पटना थाना नं० 29

खाता	खेसरा	रकबा
652	- 780	2 ए 1/2 डी०
486	- 455	2 ए 3/4 डी०

5 ए 1/4 डिसमिल

मजमुन

बायस तहरीर वसीका पटवा नामा हाजा का यह है कि प्रथम पक्ष के पिता स्वर्गीय शिवशंकर प्रसाद दो भाई थे पहला अपने खुद थे दुसरा भाई स्वर्गीय राम खेलावन साव और दोनो भाई ने अपने सम्पत्ति को दिनांक 20-V-63 ई० को दस्तावेज तहरीर करा करके दिनांक 23-V-63 ई० को दानापुर निबंधन कार्यालय में निबंधित कराये जिसका बुक नं० 1 जिल्द नं० 2V पेज नं० 476 से 208 वसीका नं० 4643 है और जो बाद संतोष कुमार अपने भाई अशोक कुमार से दाखिल खारिज नं० 486 सन 1V62 ई० दिनांक 1V-10-62 को हुआ था जिसमें आपसी समझौता

Compromise

हस्ताक्षर 27-10-22 को मंजुर हुआ
और दोनो भाई आपस में बट गये है
अब मोकिरान अपने सम्पत्ति को करवा।
करना जरूरी को मुनासीब समझा। पश
मोकिरान ऊपर लिखे जमीमा के अनुसा।
अपने सम्पत्ति का बंटवारा कर लिया
चाहिये कि कोई पक्ष अपने अपने कब्जा।
मिले सम्पत्ति पर काबिज दखील रहकर
अपना अपना अलग-अलग नाम जमीन
दारी के रजिस्टर पर या जिस कार्यालय
में नामांकन कराना चाहे नामांकन करा
कर साल व साल रसीद कटायेगे उसमे
किसी एक दुसरे पक्ष को कोई उजुर नहि वा
न कभी होगा।
इस बांटे सभी पक्ष अपने-अपने
खुशी को वाहिश से यह करवा। लिख
कर दी उसपर सही दास्तवत कराकर लिख
दिया कि समय पर प्रमाण रहे वा काम
आवे।

गवाह - श्याम प्रकाश
साकिन छोटी मधुकोला
थाना दानापुर
पटना

3/ Suraj Kumar

2/ सीता देवी

1/ हस्ताक्षर कुमार
3-8-23

4/ सही/अंगूठा

1963 बहीं Deed No - 4643 Vol - 29 Page - 178 - 204

INDIA NON JUDICIAL
Government of Bihar
e-Stamp

Certificate No.	:	IN-BR48136652835445U
Certificate Issued Date	:	22-Dec-2022 02:17 PM
Account Reference	:	NONACC (CB)/ brtbscb09/ CHAJJUBAGH/ BR-PAT/ PTC
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-BRBRTBSCB09789536717O1437U
Purchased by	:	RAJESHWAR KUMAR
Description of Document	:	Not Applicable
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	Not Applicable
Second Party	:	RAJESHWAR KUMAR
Stamp Duty Paid By	:	RAJESHWAR KUMAR
Stamp Duty Paid (Rs.)	:	100(One Hundred only)
Reg. fee (Rs.)	:	0 (Zero)
LLR & P Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Miscellaneous Fee (Rs.)	:	0 (Zero)
Discore SC (Rs.)	:	0 (Zero)
Total Amount (Rs.)	:	100 (One Hundred only)

62096
27/12/2022

सत्यमेव जयते

प्रमाणित छाया प्रति
निबंधन पदाधिकारी
पटना

Bihar State Co-Operative Bank Ltd. ★ Branch, Patna-4 ★ Bankers

पटना ★ जिला अवर निबंधक

.....Do not write or type below this line.....

JD 0018891556

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Schedule XXI—Form No. 1.

REGISTER BOOK NO. 1, 3 OR 4.

178

1. Left-hand margin for copy of endorsement and certificates.

Central space for copy of documents (Twenty lines of fifteen words each.)

3. Right-hand margin for notes.

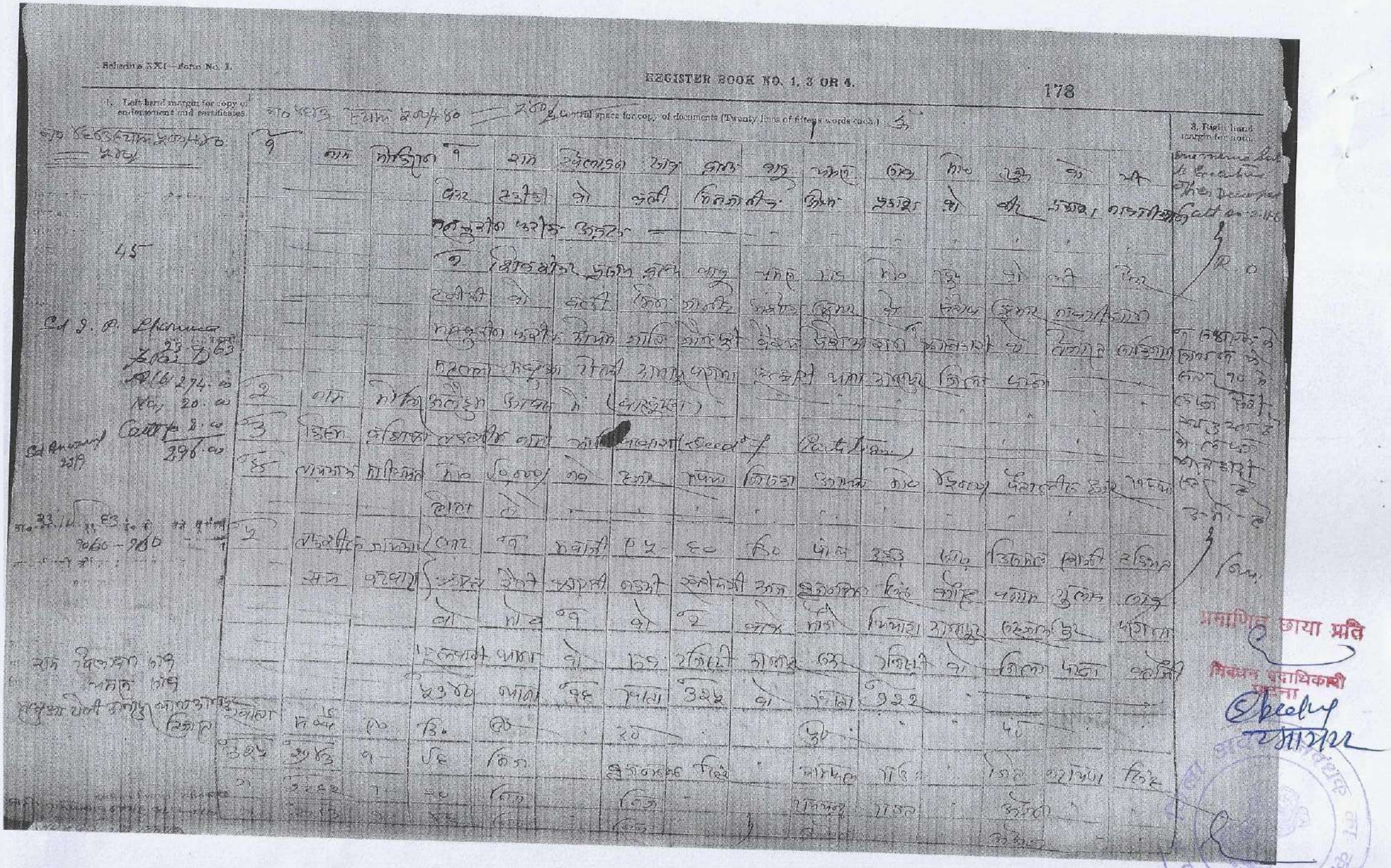

प्रमाणित छाया प्रति

निबंधन प्राधिकारी

पटना

Schedule XXI—Form No. 1.

REGISTER BOOK NO. 1, 3 OR 4.

180

1. Left hand margin for copy or endorsement and certificate.

2. General space for copy of documents (Twenty lines or fifteen words each).

3. Right hand margin for note.

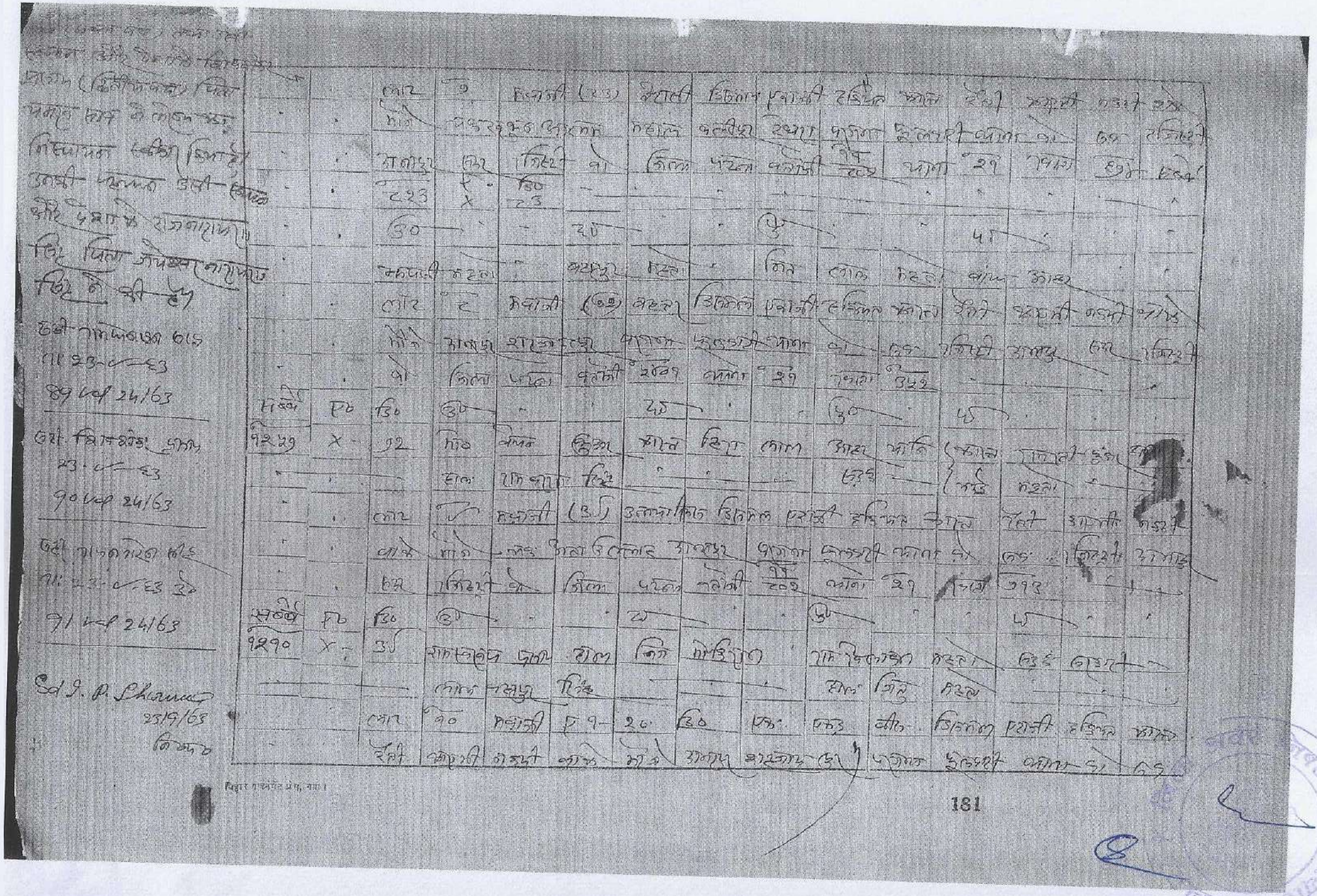

Rule/Rule XXI Form No. 1.

REGISTER BOOK NO. 1, 3, OR 4.

182

1. Left hand margin for copy of endorsement and certificates.

2. Central space for copy of documents (Twenty line of fifteen word each.)

3. Right hand margin for notes.

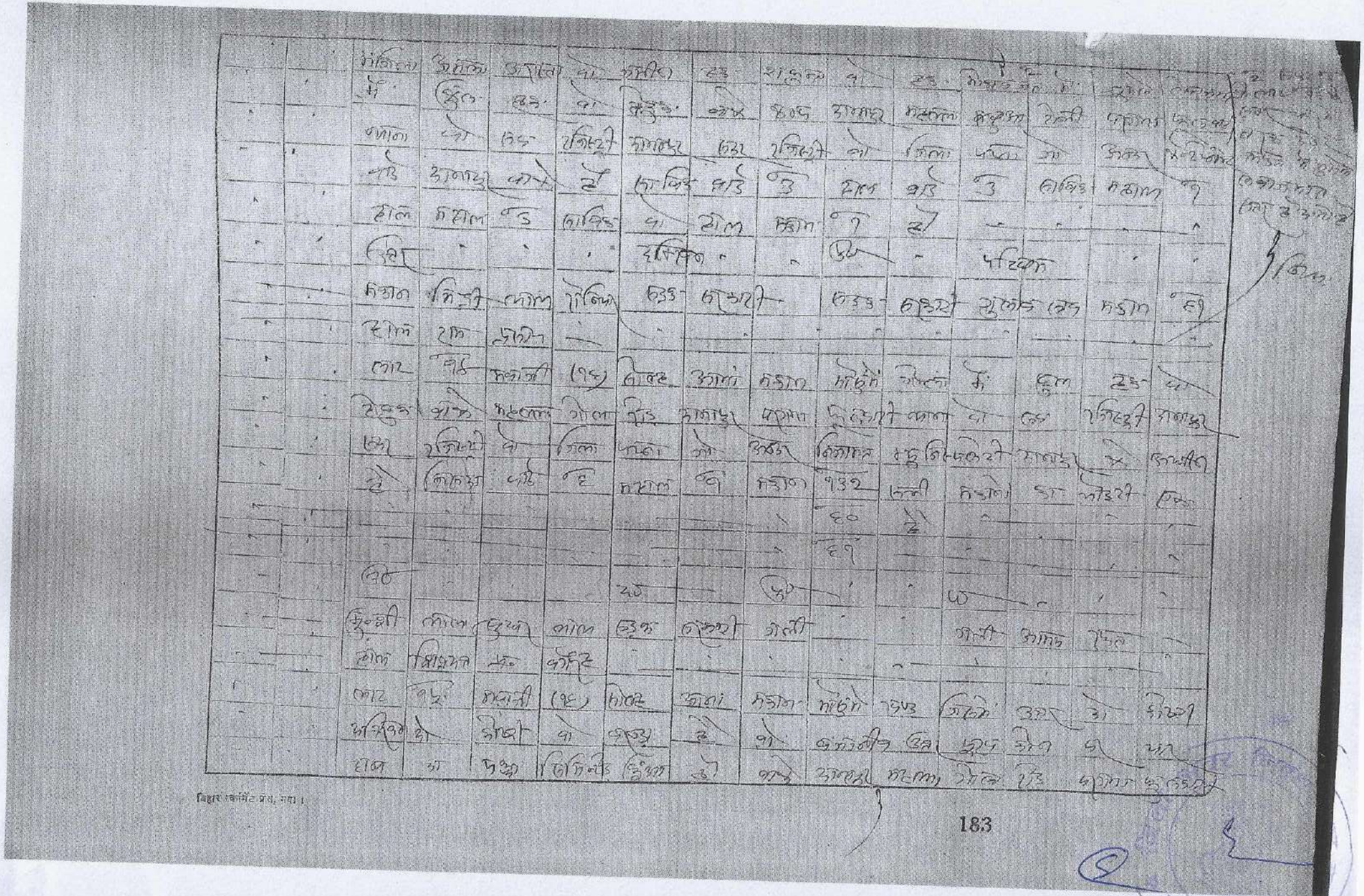

Schedule XXI Form No. 11

1. Leaf 1 must contain for copy of each sample not exceeding twenty lines.

Price Rs. 2

Name of Press

REGISTER FOR No. 1, 3, OR 4.

184

2. One line for copy of the Title. Twenty lines of Extra matter 1

Schedule XXI—Form No. 1.

REGISTER BOOK NO. 1, 3, OR 4.

186

1. Left hand margin for copy of endorsement and certificates.

2. Central space for copy of documents (Twenty lines of 144 words each.)

3. Right hand margin for date.

Schedule XXI.—Form No. 1.

REGISTER BOOK NO. 1, 2, OR 4.

188

1. Left hand margin for copy of endorsement and certificates.

2. Centre space for copy of documents (Twenty lines of fifteen words each.)

3. Right hand margin for note.

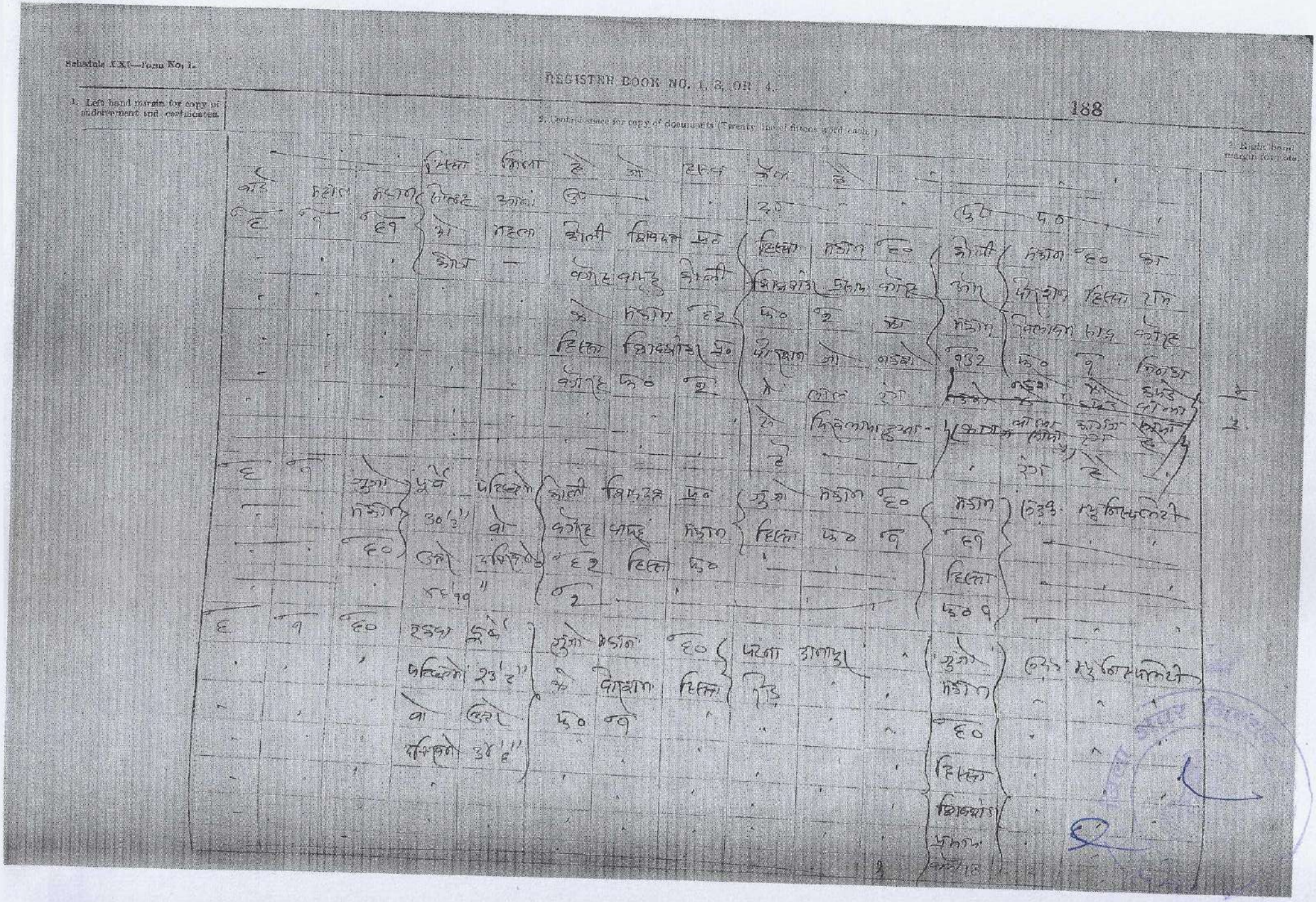

ક્રમાંક	નામ	અટક	પિતાનું નામ	ઉંમર	વ્યવસાય	સરનામું	ટેલિફોન નં.	નોંધ
૧	રમેશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૪૫	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૩૪	
૨	સુરેશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૪૨	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૩૫	
૩	મહેશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૩૮	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૩૬	
૪	દિનેશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૩૫	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૩૭	
૫	નરેશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૩૨	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૩૮	
૬	કિરીટ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૨૯	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૩૯	
૭	જયેશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૨૬	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૦	
૮	પ્રવીણ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૨૩	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૧	
૯	ભરત	પટેલ	ચંદુભાઈ	૨૦	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૨	
૧૦	અશોક	પટેલ	ચંદુભાઈ	૧૭	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૩	
૧૧	વિનોદ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૧૪	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૪	
૧૨	ગોપાલ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૧૧	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૫	
૧૩	હસમુખ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૮	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૬	
૧૪	જગદીશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૫	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૭	
૧૫	ઘનશ્યામ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૨	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૮	
૧૬	મુકેશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૪૪	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૪૯	
૧૭	રાકેશ	પટેલ	ચંદુભાઈ	૪૧	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૫૦	
૧૮	સંજય	પટેલ	ચંદુભાઈ	૩૭	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૫૧	
૧૯	અજય	પટેલ	ચંદુભાઈ	૩૪	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૫૨	
૨૦	વિજય	પટેલ	ચંદુભાઈ	૩૧	ખેતી	ગામ ધોળકા	૯૮૨૫૦૧૧૨૫૩	

Schedule XXI Form No. 1.

REGISTER BOOK NO. 1, 3, OR 4.

1. Left hand margin for copy of endorsement and certificates.

2. Central space for copy of documents (Twenty five of fifteen word each.)

3. Right hand margin for notes.

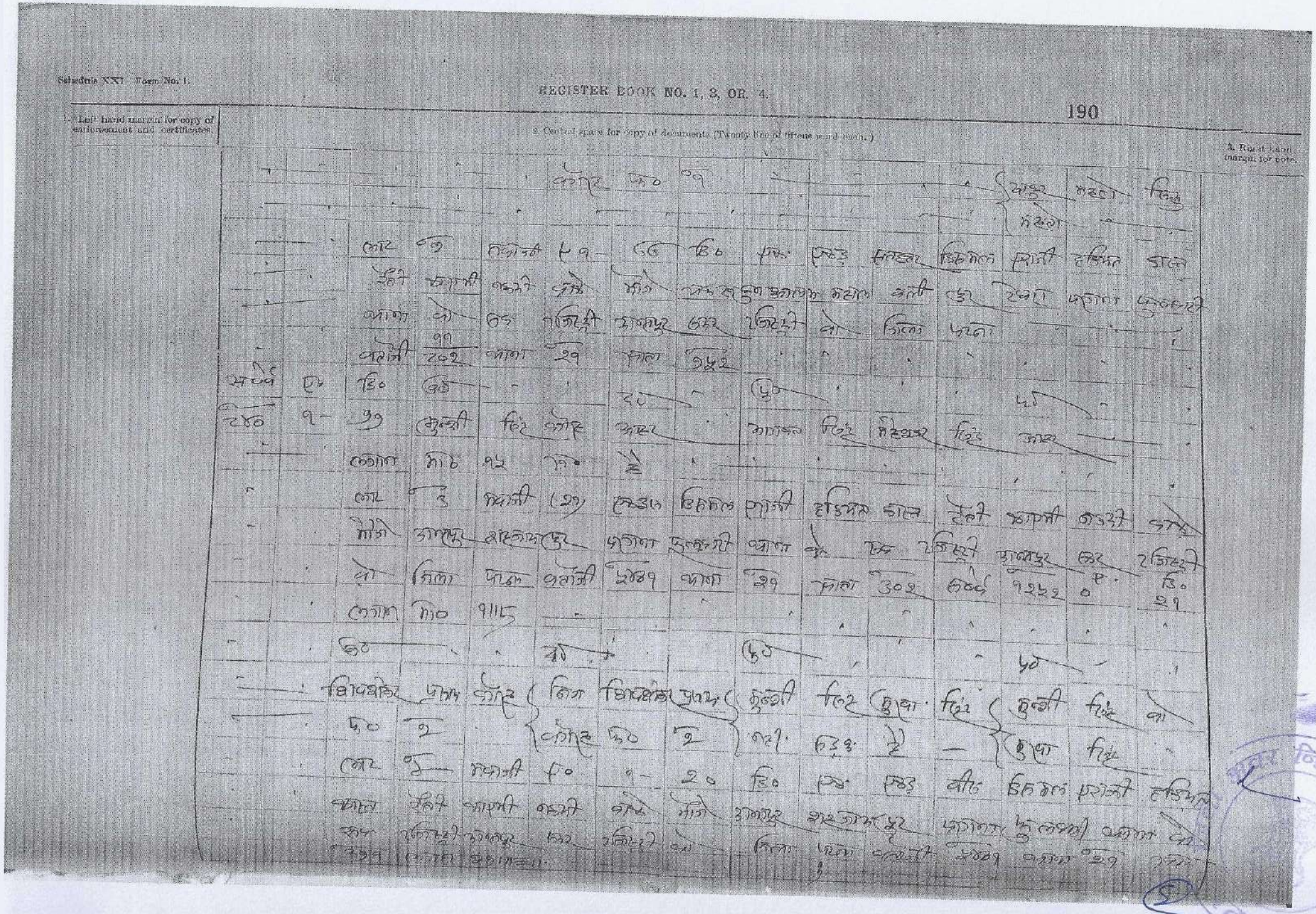

| | | |

Schedule XXI—Form No. 1

REGISTER BOOK NO. 1, 3, OR 4

192

1. Left hand margin for copy of endorsement and certificate.

2. Date of receipt for copy of application and with number of folios in each sheet.

3. Right hand margin for certificate.

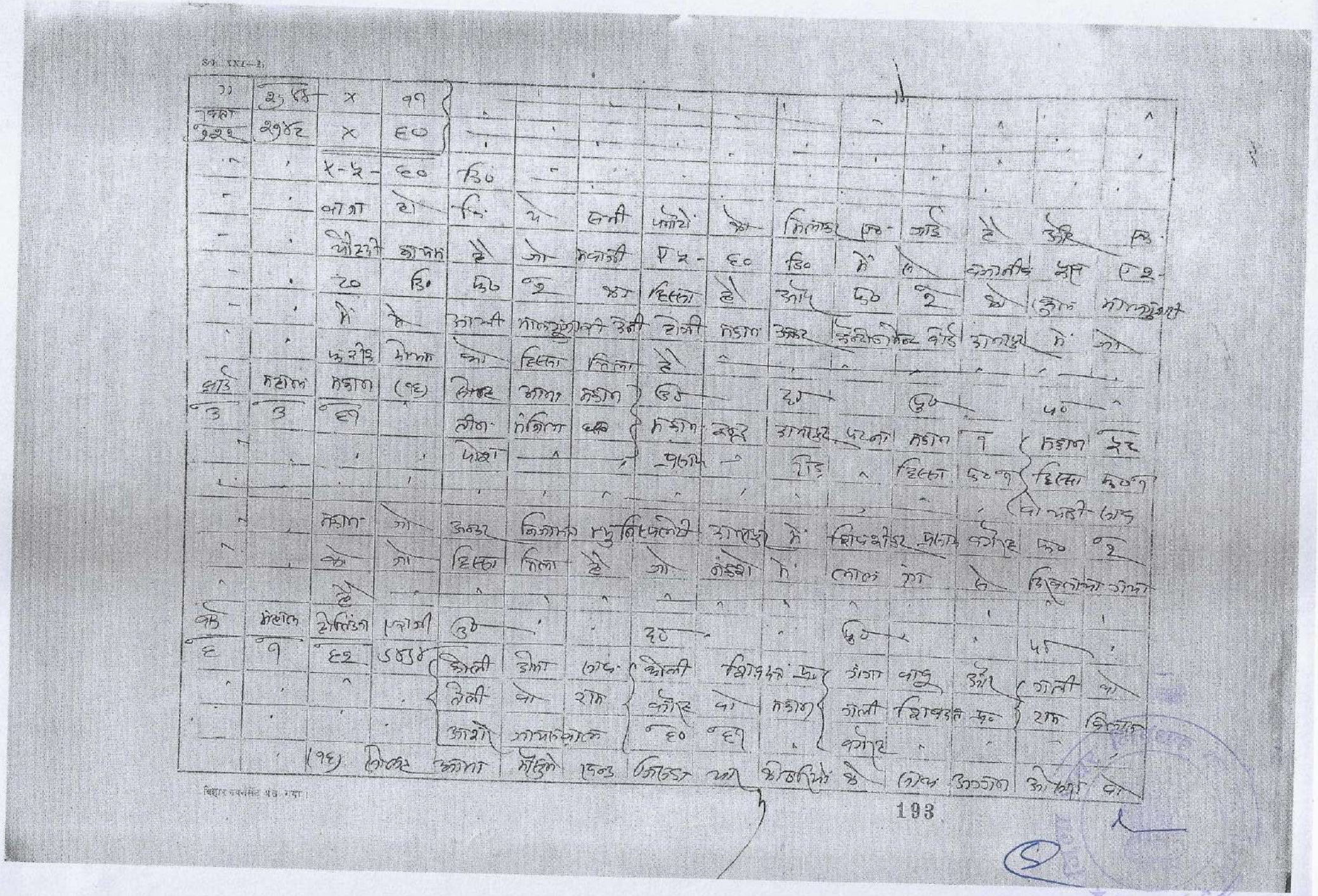

ਨੰ.	ਨਾਮ	ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ	ਜਾਤੀ	ਉਮਰ	ਕਿੱਤਾ	ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ	ਤਹਿਸੀਲ	ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ	ਕੈਫ਼ੀਅਤ
੧	ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ	ਸ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੩੫	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ
੨	ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ	ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ	ਅਰਾਈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ	੨੮	ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਕਰਿਆਨਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
੩	ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ	ਸ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੪੨	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਨੰਬਰਦਾਰ
੪	ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ	ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ	ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨ	੩੦	ਵਕਾਲਤ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਵਕੀਲ
੫	ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ	ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੨੫	ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ	ਪਿੰਡ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਵਿਧਵਾ
੬	ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫ਼ੀ	ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ	ਤੇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ	੫੫	ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਣੀ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਘਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ
੭	ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ	ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੩੮	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ
੮	ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ	ਹਾਜੀ ਨੂਰ ਦੀਨ	ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨ	੬੦	ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਹਾਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ
੯	ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ	ਸ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੨੯	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਨੰਬਰਦਾਰ
੧੦	ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ	ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੩੩	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ
੧੧	ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ	ਫ਼ਜ਼ਲ ਦਾਦ	ਮੁਗ਼ਲ ਮੁਸਲਮਾਨ	੪੫	ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਦਰਜ਼ੀ
੧੨	ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ	ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੨੭	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਨੰਬਰਦਾਰ
੧੩	ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ	ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ	ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨ	੨੬	ਵਕਾਲਤ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਵਕੀਲ
੧੪	ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ	ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੨੨	ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ	ਪਿੰਡ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਵਿਧਵਾ
੧੫	ਅਮਰ ਸਿੰਘ	ਸ. ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੩੪	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ
੧੬	ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ	ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਸੂਲ	ਅਰਾਈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ	੫੦	ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ
੧੭	ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ	ਲਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ	ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂ	੪੮	ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ
੧੮	ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ	ਸ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੨੪	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
੧੯	ਸਲੀਮਾ ਖ਼ਾਤੂਨ	ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ	ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨ	੨੧	ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ	ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ
੨੦	ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ	ਸ. ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ	ਜੱਟ ਸਿੱਖ	੩੧	ਖੇਤੀ	ਪਿੰਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ	ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ

ਪੰਨਾ ੧ ਕੁੱਲ ੨੦ ਵਿਅਕਤੀ — ਮਹਾਂਸਿੰਘ ਸੁੰਨਸਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ

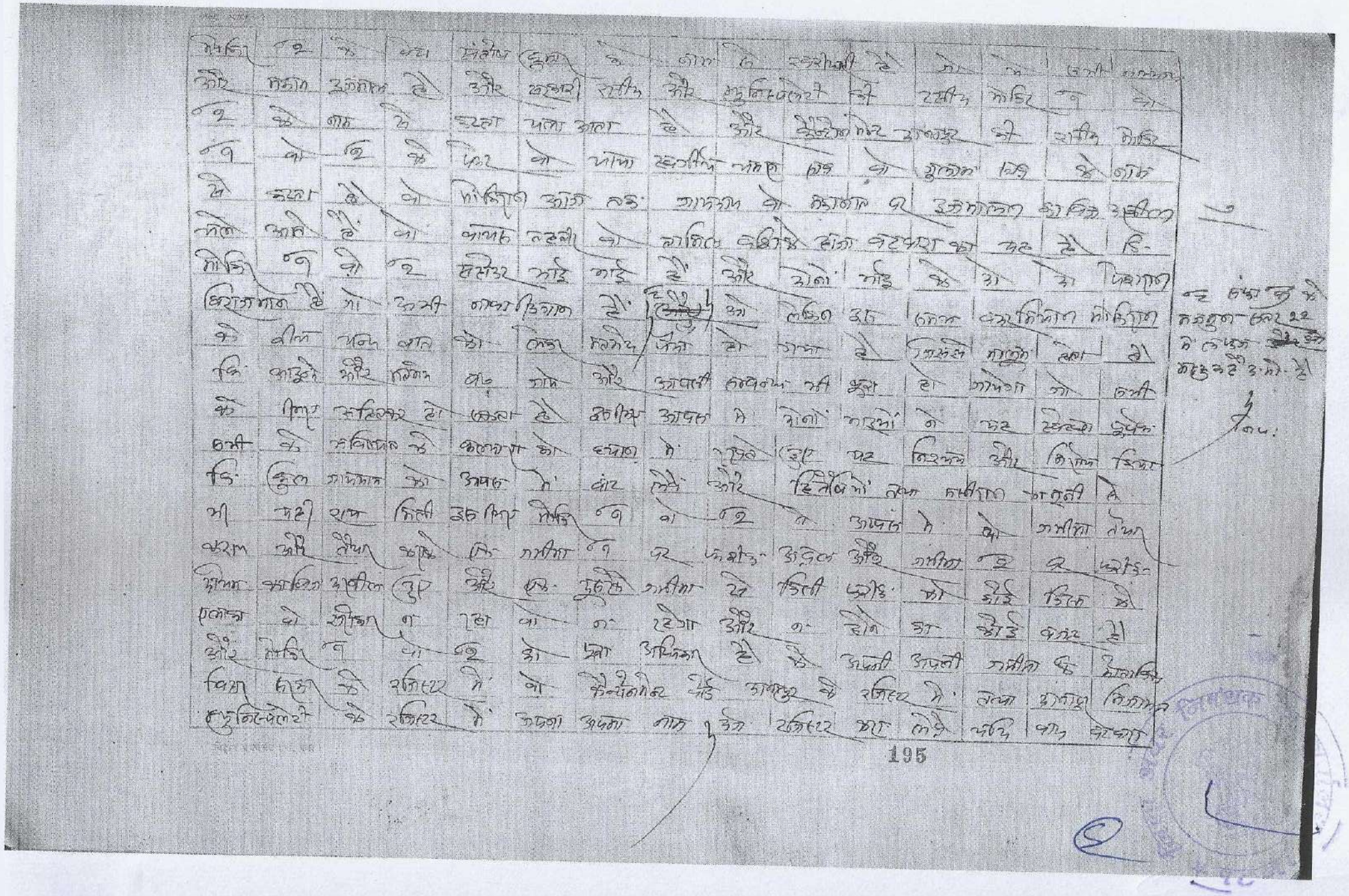

Schedule XXI Form No. 1.

REGISTER BOOK NO 1 3 OR 4.

196

1. Left hand margin for copy of endorsement and certificates.

2. Central space for copy of documents (Twenty lines of fifteen words each.)

3. Right hand margin for note.

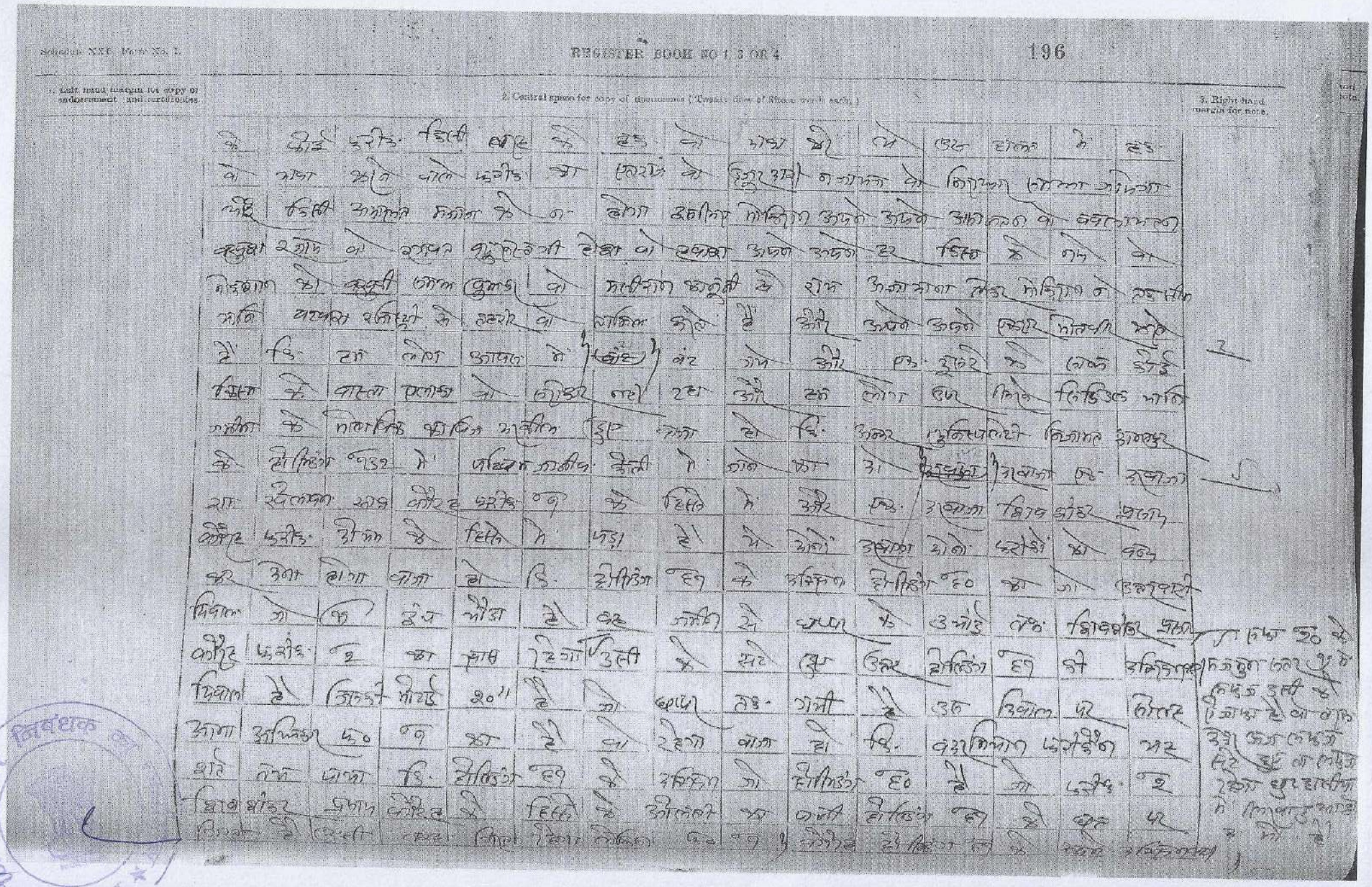

Schedule XXI Form No. 1 REGISTER BOOK NO 1, 2 OR 4 198

1. Left hand margin for copy of endorsement and certificates

2. Central space for copy of documents (words each)

3. Right hand margin for note.

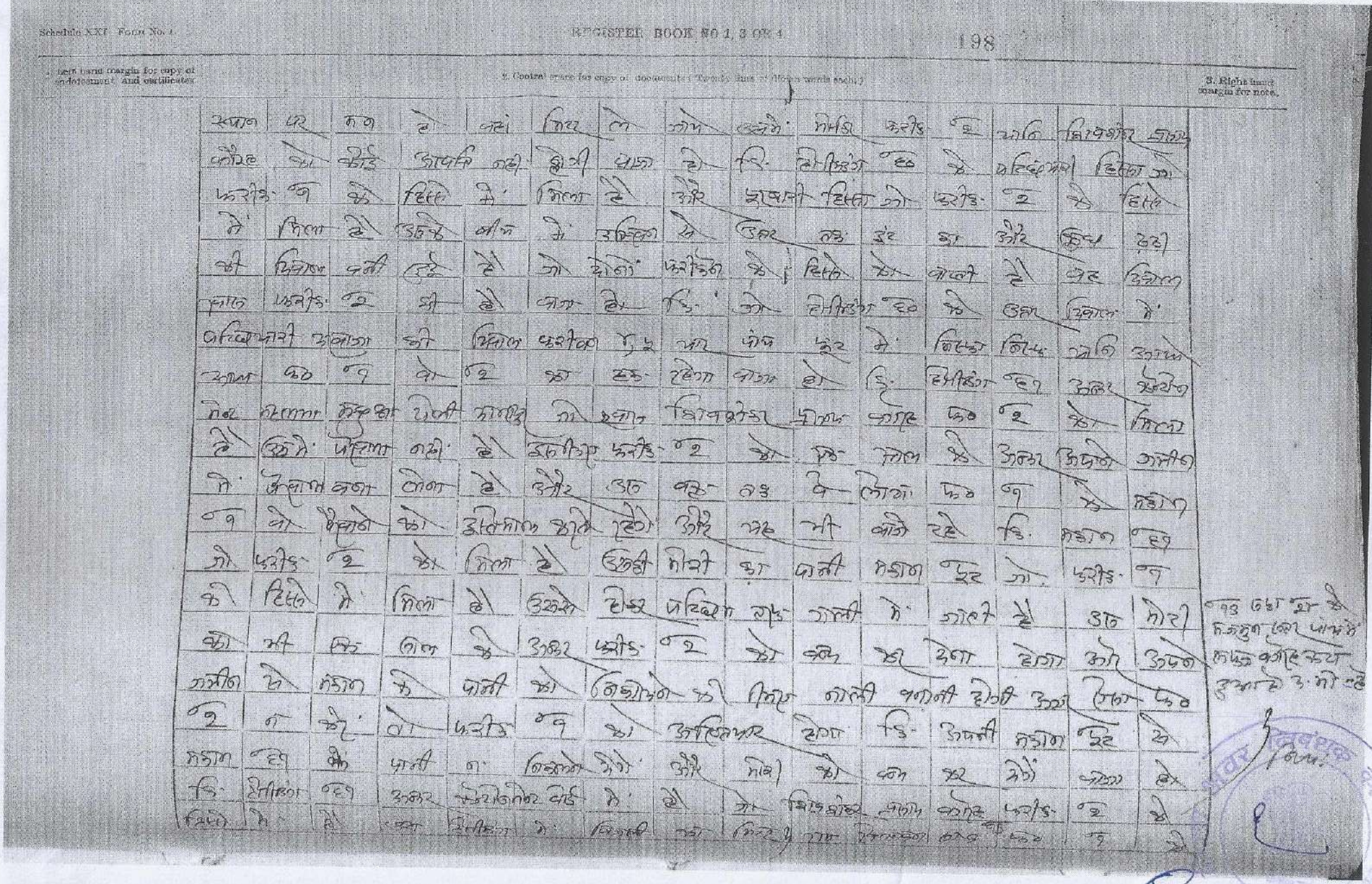

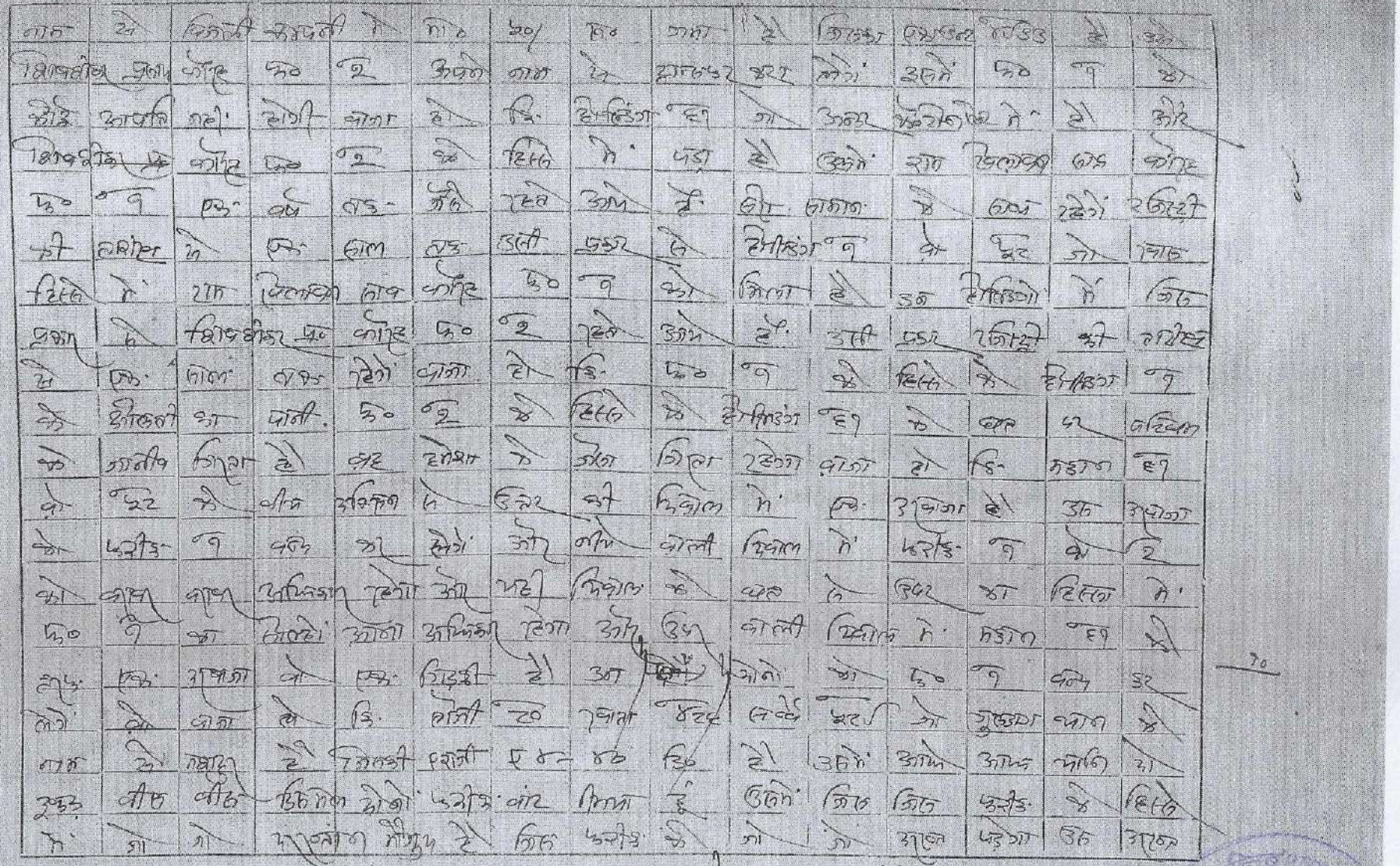

Schedule XXI. Form No. 1.

REGISTER BOOK NO 1, 3 OR 4.

200

1. Left hand margin for copy of endorsement and certificates

2. Central space for copy of documents (Twenty lines to fifteen words each.)

3. Right hand margin for note.

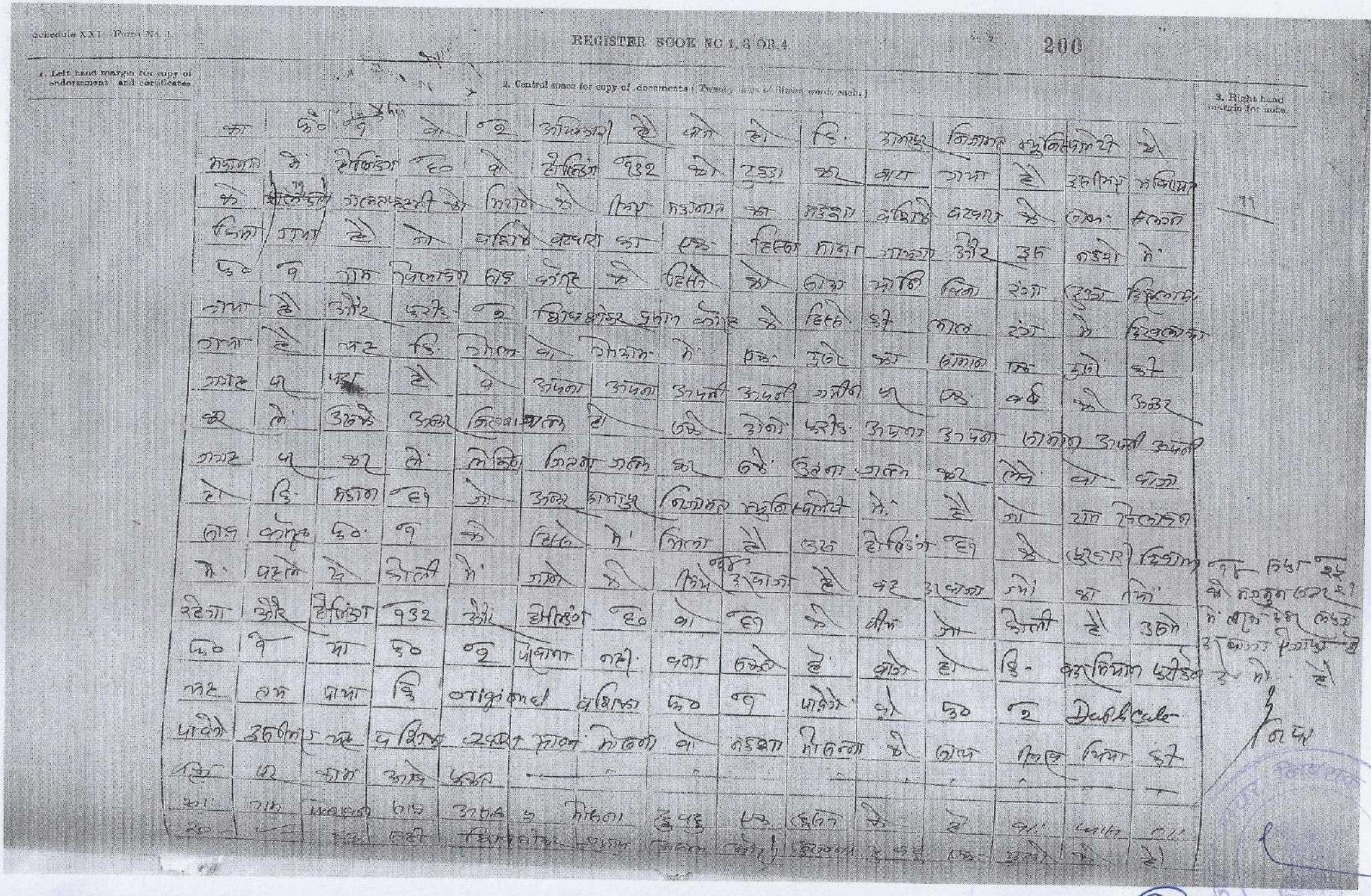

Sch. XXI—1.

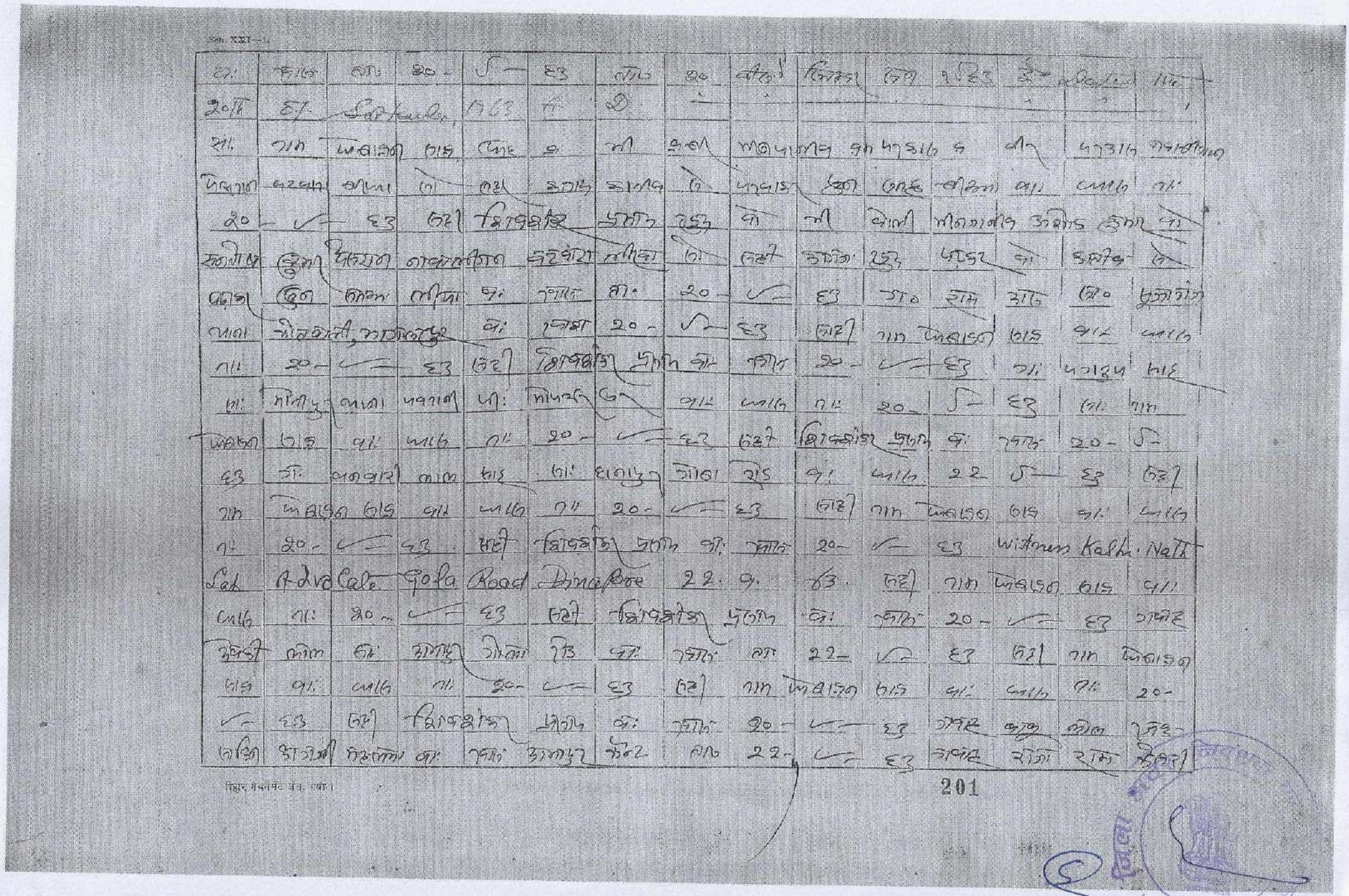

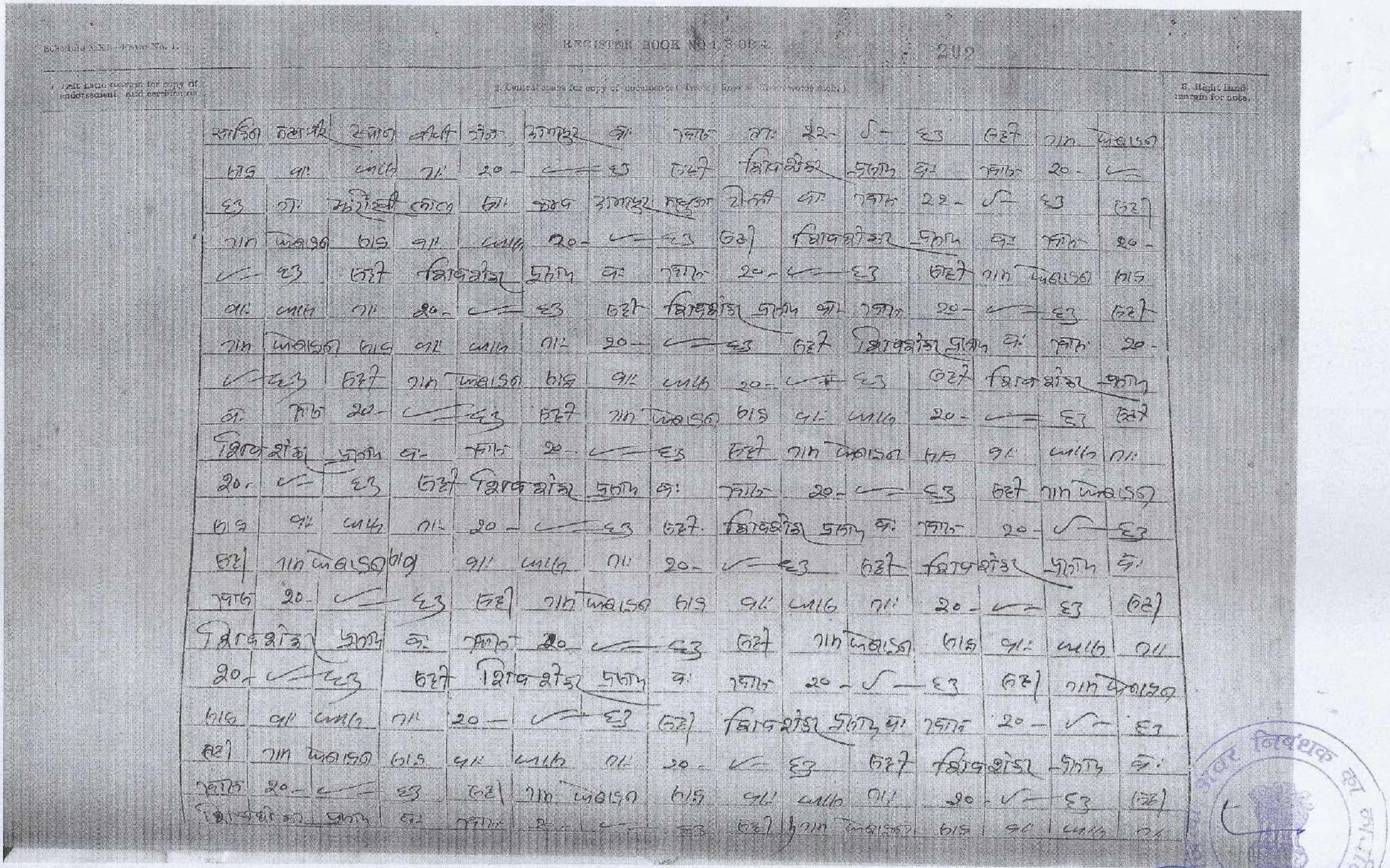

Sch. XII-1.

20 - 0 - 03 ৩৫৭ ত্রিকুটিয়া মুলাম ৪১ দুকাল 20 - 0 - 03 ৩৫৭ গান ঘোড়াগড়া ৩১৫
গাঁ: ঘোড়া গাঃ 20 - 0 - 03 ৩৫৭ ত্রিকুটিয়া মুলাম গাঃ দুকাল 20 - 0 - 03 ৩৫৭
গান ঘোড়াগড় ৩১৫ গাঁ: ঘোড়া গাঃ 20 - 0 - 03 ৩৫৭ ত্রিকুটিয়া মুলাম গাঃ দুকাল 20.
0 - 03 ৩৫৭ গান ঘোড়াগড় ৩১৫ গাঁ: ঘোড়া গাঃ 20 - 0 - 03 ৩৫৭ ত্রিকুটিয়া মুলাম
গাঁ: দুকাল 20 - 0 - 03 কাত্তিক তিসপুকাম গ্রো ওলে সীমা রামদিয়া আউর সাকিনাগ
কী পচম্ব তুলা বৈশাখ হৈ কোসা হো ত্রি: নহাঁ নহাঁ অহীয়া পহাঁ বহাঁ কা কিত
2 পত্র মেঁ মুহুল্লাह সাক্ষি ত্রিপাঠ হৈ

Palita Inedamy No 2 N J Rs. 54. only Between said to Sri. Shiv
Shankar Pd Son of Shamu Sao Village Mahtali P. S. Dalapore District
Palita Stay Orders Sd 2nd-grade 3: 9. 63 500 pc
Palita Inedamy No 2 N A Sold to Sri Shankar Pd 40/-
Son caste of village P. S. District Stay Orders Illegible 540/-
3. 9. 63

Duplicate No 4644 Stay 2/+ 15 N. P + 15 N. P + 15 N. P = 2/45 N. P.
3091 নং ৭৮ - 0 - 03 খতি গাঁ দিলকা গোত বাসী খসাত গোত গো কুটুম্ব 2 সাঁ
মাতুরী কাহে আরা মাকুরী জিলা পটনা কে বাসি সকল মুহ সাঁ জিলা মোকামা কে রৈয়া
2 - 82 2 - 94 - 3 3: সমাপ্তিকৃত দিনাঙ্ক 3092 নং ৭৮ - ১ - 03 খতি
রৈয়া কি বাসি রৈয়া 94 3: সমাপ্তিকৃত দিনাঙ্ক 3093 নং ৭৮ - ১ - 03 খতি
রৈয়া কি বাসি রৈয়া 94 3: সমাপ্তিকৃত দিনাঙ্ক 3094 নং ৭৮ - ১ - 03 খতি
রৈয়া কি বাসি রৈয়া 94 3: সমাপ্তিকৃত দিনাঙ্ক

7502
72 - 03

पटना

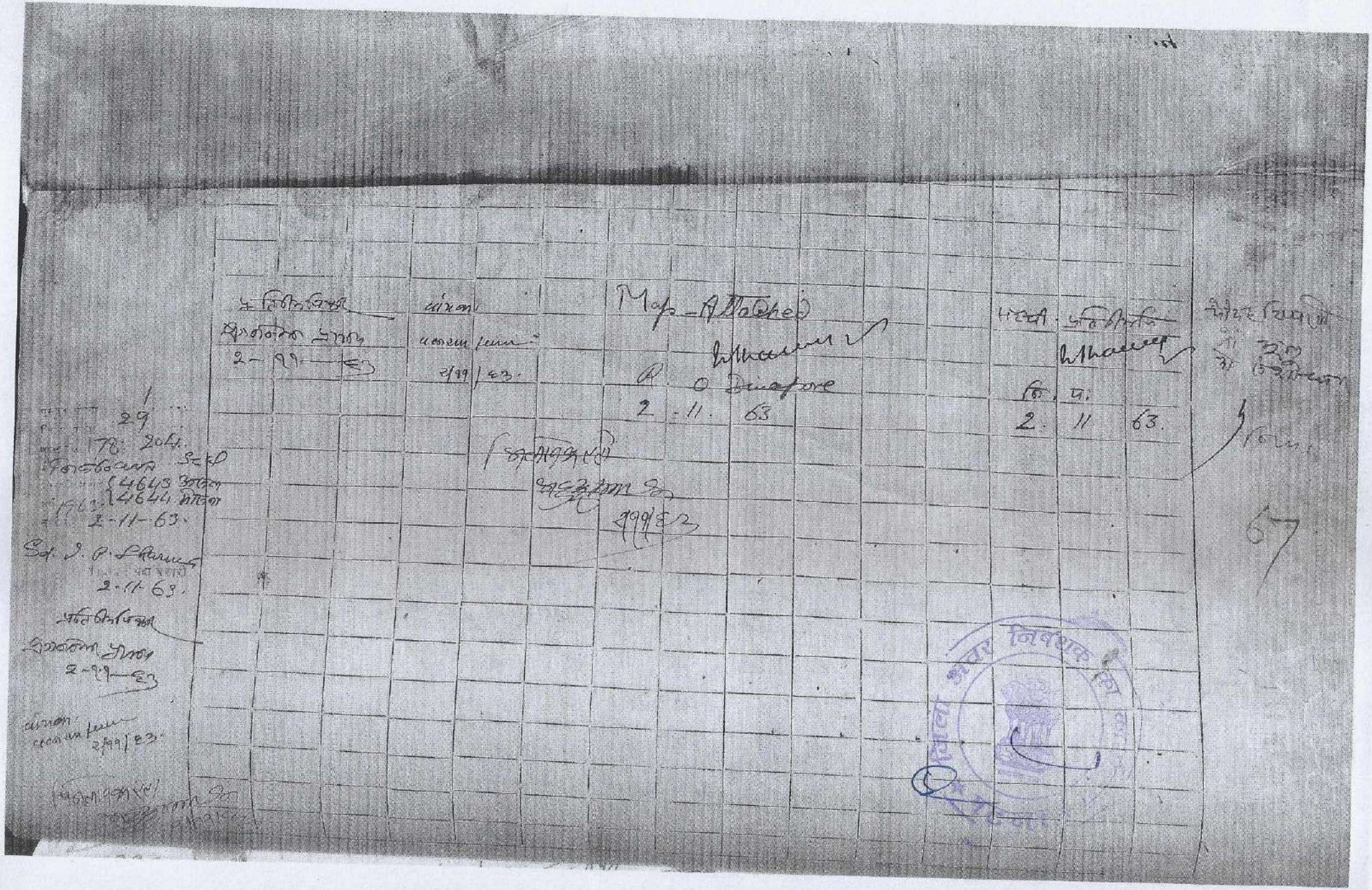

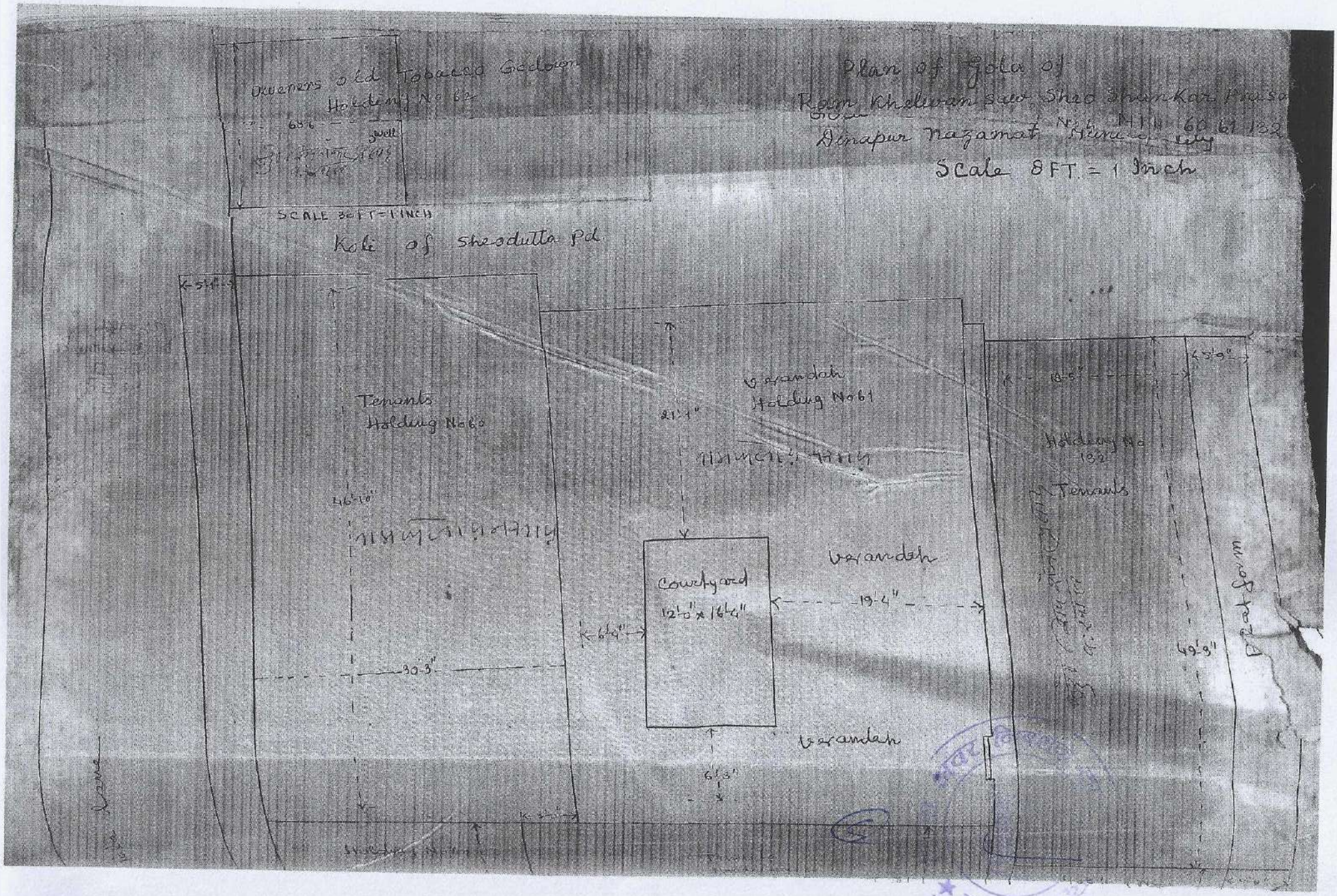
Owners old Tobacco Godown
Holding No 62
Well
SCALE 30 FT = 1 INCH
Plan of Gola of
Ram Khelawan Sao Shad Shankar Prasad
Dinapur Nazamat No 1111 60 61 132
Scale 8 FT = 1 Inch
Kole of Sheodutta Pd
Tenants
Holding No 60
Verandah
Holding No 61
Courtyard
12'-0" x 16'-4"
Verandah
Verandah
Holding No
Tenants
30-3"
19'-4"
49'-9"
18'-5"
5'-9"
6'-4"
6'-3"
21'-1"
46'-10"

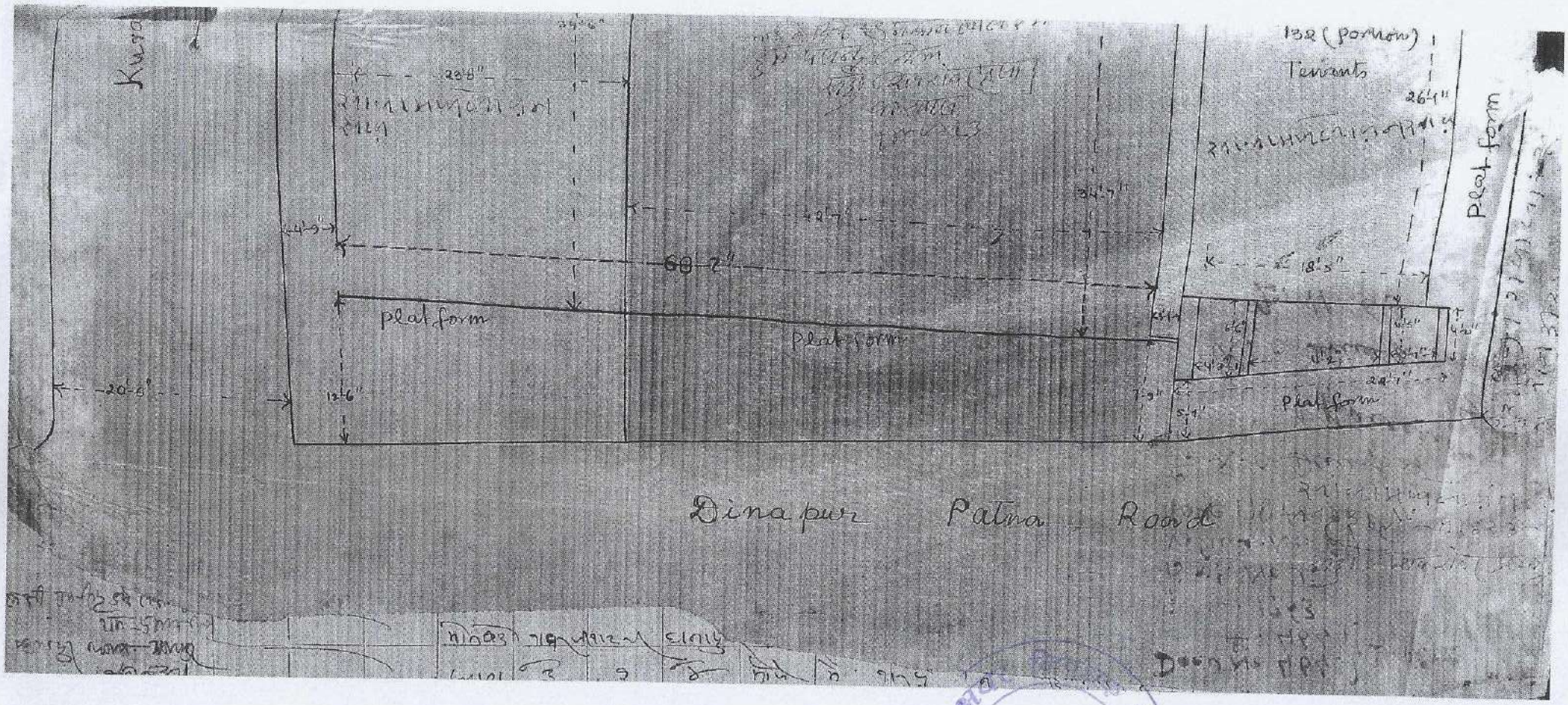
Kuan
plat form
plat form
plat form
plat form
132 (portion)
Tenants
Plat form
Dina pur Patna Road

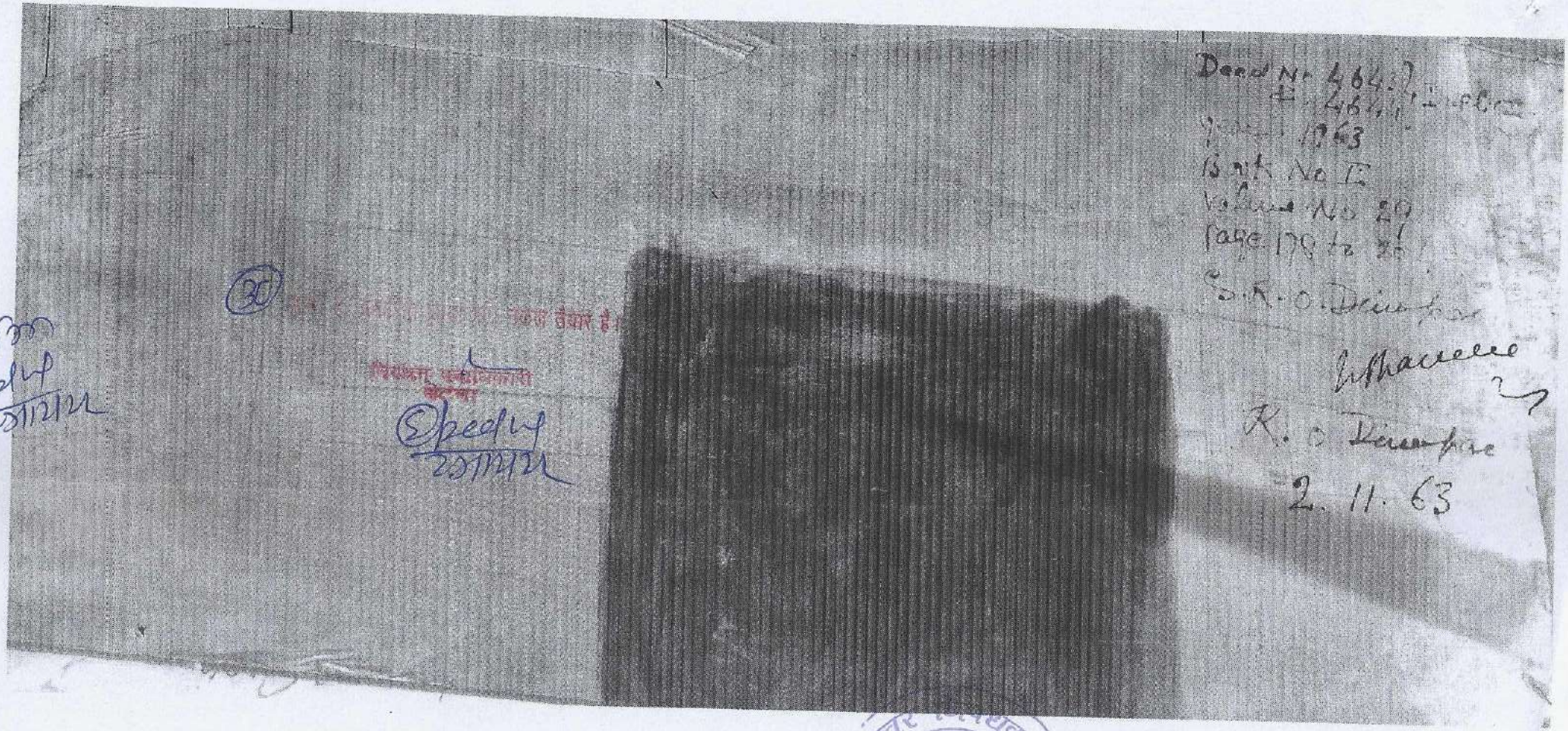
Deed No. 4647 & 4648
1963
Book No. 1
Volume No. 20
Page 179 to 81
S.R.O. Dinapore
Examined
R. O. Dinapore
2. 11. 63

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अंचल अधिकारी का कार्यालय
Danapur, Patna

Dublicate Copy
11/01/2023

आदेश

जिला : Patna **अचंल :** Danapur
दाखिल खारिज केस संख्या : 20811 **वित्तीय वर्ष :** 2022 - 2023

तिथि
27-Aug-2022

आदेश पर की गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा दानापुर, थाना सं० 21

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा
486	589	0 एकड़,15.5 डिसमील, 0हेक्टर
371	1235	0 एकड़,17.5 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
संतोष कुमार	पिता/बाप/अबू	शिव शंकर प्रसाद

है | जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 1278, दिनांक- 29/04/2022 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SANTOSH KUMAR	पिता/बाप/अबू	LT SHIV SHANKAR PRASAD
RITA DEVI	सौहर / पति	SANTOSH KUMAR

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । किसी ने कोई आपत्ती नही की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

आम\ खास सूचना निर्गत |किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपति प्राप्त नहीं हुआ है |राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व पदाधिकारी के द्वारा दाखिल ख़ारिज की अनुशंसा की गई है |अतः दाखिल ख़ारिज स्वीकृत की जाती है|

अत: वार्षिक लगान **30 रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by :
AMRIT RAJ BANDHU
अंचलाधिकारी
Danapur

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अंचल अधिकारी का कार्यालय
Danapur, Patna

Dublicate Copy
11/01/2023

आदेश

जिला : Patna **अचंल :** Danapur
दाखिल खारिज केस संख्या : 20810 **वित्तीय वर्ष :** 2022 - 2023

तिथि
27-Aug-2022

आदेश पर की गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा दानापुर, थाना सं० 21

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा
486	589	0 एकड़,15.5 डिसमील, 0हेक्टर
371	1235	0 एकड़,17.5 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
संतोष कुमार	पिता/बाप/अबू	स्व० शिव शंकर प्रसाद

है | जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 1278, दिनांक- 29/04/2022 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SANTOSH KUMAR	पिता/बाप/अबू	LT SHIV SHANKAR PRASAD
RITA DEVI	सौहर / पति	SANTOSH KUMAR

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । किसी ने कोई आपत्ती नही की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

आम\ खास सूचना निर्गत |किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपति प्राप्त नहीं हुआ है |राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व पदाधिकारी के द्वारा दाखिल ख़ारिज की अनुशंसा की गई है |अतः दाखिल ख़ारिज स्वीकृत की जाती है|

अत: वार्षिक लगान **30 रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by :
AMRIT RAJ BANDHU
अंचलाधिकारी
Danapur

No 316
Date 16/1/23



AFFIDAVIT CUM UNDERTAKING

I, Suraj Kumar and Sri Saurav Kumar, Both S/o Late Santosh Kumar, residing at Main Road Gola Par, In front of Ramjanki Mandir, Po.- Danapur Cantt, Thana- Danapur, Dist- Patna, Bihar, do hereby solemnly declare, undertake and state as under:

That we have entered into "Development Agreement" Deed No- 16966, Book No.- 1, dated **28/09/2022**, with **M/s SK Builders & Colonisor Private Limited** for the project **"Urmila Enclave"** situated at Plot No.- 589, Khata No.- 486, Thana No.- 21, Thana- Danapur, Mauza- Danapur, Dist- Patna, Bihar total admeasuring **1647.91 square meter** Plot Area. We have our full consent for the development of the said project on the above-mentioned land and agree for share proportion which is mention in Page No.- 18 in above mentioned development agreement and also agree for all the terms and conditions mentioned in the above mentioned 'Development Agreement'.

Distribution of flats as per mentioned in map with respective flat no.

Land Owner Share

Flat No.- 101 to 112 (First Floor), 401 to 412 (Fourth Floor)

Developer Share

Flat No.- 201 to 212 (Second Floor), 301 to 312 (Third Floor)



Suraj Kumar

Saurabh Kumar

Sri/Smt. Suraj Kumar & Others.
who is identified by Sri. CB Kr
Advocate solemnly affirmed and
declared before me
16/1/23

A. K. Dwivedi
Notary Public Danapur

Deponent

I identify the Signature/ L.T.I. of the deponent who has Signed/ L.T.I. in my presence.

Advocate

16.1.23

IT 0002696714

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :	16-JAN-2023 09:45:55
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	PATLIPUTRA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED
LOCATION :	Civil Court Danapur
e-COURT RECEIPT NO :	BRCT1624A2340J409
e-COURT FEE AMOUNT :	₹ 95
	(Rupees Ninety-Five Only)

BRCT1624A2340J409

₹5
BIHAR COURT FEE
BRCT1624A2340J409
16 JAN 2023

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



Before,
The Notary Public Danapur Patna

No 313
Date 16/1/23

AFFIDAVIT

We(1) Suraj Kumar, Aadhar No 8781 6162 6428 , Pan No – BGNPK2783E
(2) Saurabh Kumar, Aadhar No 7320 8647 1834, Pan No – CJRPK6667F

All sons of Late Santosh Kumar, All resident of Main Road Gola Par, In front of Ramjanki Mandir, Po.- Danapur Cantt, Thana- Danapur, Dist- Patna, Bihar, do hereby solemnity affirm and declare on oath as follows:-

(1) That the term owners and developers shall unless repugnate to the context or excluded by these presents mean and include their respective heirs legal representatives executors administrators successors in interest and assingswill be the real owners are absolutely seized and possessed of all that piece and parcel of land situated at Plot No.- 589, Khata No.- 486, Thana No.- 21, Thana- Danapur, Mauza- Danapur, Dist- Patna, Bihar
(2) AND WHEREAS by a Development Agreement dated **28.09.2022,** bearing **Deed No. 16966, Token No. 17600/2022 Serial No. 17196,** which is Registered in the Office of the Sub Registrar Danapur in Book no. 1, Volume no. 339, Pages 298 to 320, **Total Land Area 1647.91 square meter.**
(3) That we are the M/S :- SK Builders And Colonisor Pvt. Ltd. , At – 5th Floor SK Palace, Saguna More, Danapur ,Patna Bihar ,Pin 801503, hereinafter called the developers of the other part.
(4) That we are the authorised development of the real owner of the land, which are fully described in schedule.
(5) That the real owner have connived the developers for doing business upon the land..
(6) That we obey the all terms and conditions of the agreement and we will go under the authorised rules and regulations of the said agreement.
(7) That we will not any kind of breach as per the agreement.
(8) That we are the consented developers of the real owner of the land and we will not do any act contrary to law.
(9) That the statements made above by us are correct and true to the best of our knowledge information and belief.
(10) That all the statements are true and we concealed nothing.

Identified By..
I identify the Signature/ L.T.I. of the deponent who has Signed/L.T.I. in my presence.
Advocate
16.1.23

Deponents..
Yours faithfully,
Saurabh Kumar
Suraj Kumar

Sri/Smt. Suraj Kumar & Others
who is identified by Sri.....
Advocate solemnly affirmed and declared before me
16/1/23
A. K. Dwivedi
Notary Public Danapur

Signature(s) of the Owner

IT 0002696713

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

DATE & TIME :	16-JAN-2023 09:45:47
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	PATLIPUTRA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED
LOCATION :	Civil Court Danapur
e-COURT RECEIPT NO :	BRCT1624A2340J408
e-COURT FEE AMOUNT :	₹95
	(Rupees Ninety-Five Only)

BRCT1624A2340J408

₹5
BIHAR COURT FEE
BRCT1612472A2304K
16-JAN-2023

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.

समक्ष,

कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना सदर, पटना।

2106
19/11/23

शपथ–पत्र

मैं, **सुरज कुमार**, पिता– स्व0 संतोष कुमार, निवासी– मेन रोड, गोला पर, राम जानकी मंदिर के सामने, पोस्ट– दानापुर कैन्ट, थाना– दानापुर, जिला– पटना, बिहार का निवासी हूँ, शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि :–

1. यह कि मेरे परिवार का वंशावली इस प्रकार है :–

वंशावली

चमरू साव

राम खेलावन साव — **शिव शंकर प्रसाद**

अशोक कुमार — **स्व0 संतोष कुमार**

सुरज कुमार — **सौरव कुमार**

2. उपरोक्त शपथपत्र में लिखी गई सारी बातें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है, जिसे मैं पढ़कर अपना हस्ताक्षर बना दिया हूँ।

Saurabh Kumar Suraj Kumar

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

Identify the depon
who Signed in my pre
19/11/23

JU 0000486275

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

सत्यमेव जयते

DATE & TIME :	17-JAN-2023 11:04:28
NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :	THE BIHAR STATE COOPERATIVE BANK LIMITED
LOCATION :	CIVIL COURT PATNA
e-COURT RECEIPT NO :	BRCT1012A2427K180
e-COURT FEE AMOUNT :	₹ 95
	(Rupess Ninety-Five Only)

BRCT1012A2427K180



Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at ww
details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of a
Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.